

F7(4)/SVS/ACAD/CCE/2024

March 2024

स्वामी विवेकानंद स्कॉलरशिप फॉर एकेडमिक एक्सीलेंस योजना दिशा निर्देश

प्रस्तावना

राजस्थान के मेधावी छात्रों को प्रतिवर्ष देश/विदेश के विभिन्न विश्वविद्यालयों/संस्थानों में अध्ययन करने के लिये, "स्वामी विवेकानंद स्कॉलरशिप फॉर एकेडमिक एक्सीलेंस योजना" हेतु यह नवीन दिशा निर्देश निम्नानुसार जारी किये जाते हैं। उक्त योजना में विदेश के संस्थानों में 300 विद्यार्थियों एवं देश के संस्थानों में अध्ययन के लिये 200 विद्यार्थियों को अनुमति किया जाना है।

यह वित्त विभाग की आई डी संख्या 152400434 दिनांक 11.03.2024 से अनुमोदित है।

1. नाम एवं ऐप्लिकेबिलिटी:-

- (i) योजना का नाम - उक्त योजना "स्वामी विवेकानंद स्कॉलरशिप फॉर एकेडमिक एक्सीलेंस योजना" कहलाएगी एवं दिशानिर्देश "स्वामी विवेकानंद स्कॉलरशिप फॉर एकेडमिक एक्सीलेंस योजना दिशानिर्देश" कहलायेंगे।
- (ii) ये दिशा निर्देश ऐसे सभी विद्यार्थियों पर लागू होंगे जो राजस्थान के मूल निवासी हैं तथा इन दिशा निर्देशों में पात्रता की शर्तों को पूरा करते हैं।
- (iii) इस योजना में स्कॉलरशिप हेतु प्रदान किये जाने वाले समस्त वित्तीय लाभ इन दिशा निर्देशों एवं इनमें समय-समय पर होने वाले संशोधनों तथा राज्य सरकार द्वारा प्रभावी किये जाने की दिनांक के अधीन ही प्रदान किये जायेंगे।
- (iv) इन दिशा निर्देशों के प्रभावी होने से पूर्व की अवधि तक RGS योजना द्वारा चयनित विद्यार्थियों पर पूर्व की गाइडलाइन्स ही प्रभावी रहेंगी परन्तु इन दिशा-निर्देशों के जारी होने की दिनांक से उक्त विद्यार्थियों पर भी छात्रवृत्ति तथा छात्रवृत्ति की निरंतरता में शेष कोर्स अवधि के लिए ये ही दिशा-निर्देश लागू होंगे।
- (v) ये दिशा निर्देश जारी होने की दिनांक से प्रभावी होंगे।

2. योजना का उद्देश्य

इस योजना का उद्देश्य राजस्थान राज्य के मूल निवासी, ऐसे विद्यार्थी जो स्नातक स्तर, स्नातकोत्तर स्तर, पी.एच.डी और पोस्ट-डॉक्टोरल अनुसंधान कार्यक्रम हेतु विदेश में नवीनतम QS वैश्विक रैंकिंग अनुसार सूचीबद्ध किये हुए 1-150 विश्वविद्यालयों/संस्थानों^{Rajya Net} में समस्त विषयों/पाठ्यक्रमों में एवं देश के 1-50 तक रैंकिंग (Overall NIRF Ranking) वाले 50 NIRF संस्थानों में उच्च अध्ययन करने के लिए चुने गये हैं, उन्हें छात्रवृत्ति प्रदान किया जाना है। इसके अतिरिक्त राजस्थान राज्य के मूल

निवासी विद्यार्थियों को देश/विदेश के प्रतिष्ठित संस्थानों में उच्च अध्ययन हेतु प्रेरित करना तथा कैरियर बनाने में सहयोग करना, राजस्थान राज्य के विकास में ऐसे विद्यार्थियों की सहभागिता हेतु उत्प्रेरित करना इस योजना का उद्देश्य है। छात्रवृत्ति हेतु आय के अनुसार अल्प आय वर्ग के विद्यार्थियों को प्राथमिकता दी जाएगी ।

3. योजना के अन्तर्गत आय की श्रेणियाँ, विषय/पाठ्यक्रम एवं छात्रवृत्ति की संख्या

- (i) **आय की श्रेणियाँ:** योजना में विद्यार्थी एवं उसके परिवार की सकल (Gross) आय के अनुसार 3 श्रेणियाँ निर्धारित की गयी हैं:

विद्यार्थी एवं उसके परिवार की सभी स्रोतों से सकल (Gross) आय 8.00 लाख रुपये प्रति वर्ष से कम होने पर	विद्यार्थी एवं उसके परिवार की सभी स्रोतों से सकल (Gross) आय 8.00 लाख से 25 लाख रुपये प्रति वर्ष तक होने पर	विद्यार्थी एवं उसके परिवार की सभी स्रोतों से सकल (Gross) आय 25 लाख रुपये प्रति वर्ष से अधिक होने पर
श्रेणी E1	श्रेणी E2	श्रेणी E3

- (ii) **विषय/पाठ्यक्रम-** योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2023.24 हेतु अनुलग्नक-1 के अनुसार QS वैश्विक रैंकिंग अनुसार सूचीबद्ध 1-150 विश्वविद्यालयों/संस्थानों में पढ़ाये जाने वाले सभी विषय/पाठ्यक्रम इन दिशा निर्देशों के अध्यधीन सभी स्तरों यथा स्नातक, स्नातकोत्तर, पी.एच.डी., पोस्ट डॉक्टोरल के लिए मान्य होंगे। वित्तीय वर्ष 2024.25 हेतु 1 अप्रैल को तत्समय उपलब्ध नवीनतम QS (1-150) वैश्विक रैंकिंग /NIRF(Overall 1-50 Ranking) के अनुसार विश्वविद्यालयों/संस्थानों की सूची सम्पूर्ण वित्तीय वर्ष के लिए मान्य होगी।
- (iii) **छात्रवृत्ति की संख्या:** वर्ष 2023-24 के लिए प्राप्त आवेदनों का परीक्षण कराकर योग्य प्रकरणों में कुल प्रकरण 500 तक की सीमा के अंदर रखते हुये स्वीकृतियाँ जारी की जाएंगी। वर्ष 2024-25 हेतु योजनान्तर्गत प्रतिवर्ष 500 विद्यार्थियों का चयन किया जाएगा, जिसमें 300 विद्यार्थियों का चयन विदेशी संस्थानों में तथा 200 विद्यार्थियों का चयन देश के संस्थानों के लिए होगा। इस योजना के तहत देश के उन संस्थानों में प्रवेश पाने वाले छात्रों को योजना का लाभ दिया जाएगा जिन संस्थानों की NIRF के तहत रैंकिंग (Overall NIRF Ranking) 1-50 तक हो तथा इन 200 छात्रों की संख्या में चिकित्सा एवं इंजीनियरिंग के लिए चयनित विद्यार्थियों की कुल अधिकतम संख्या 100 होगी।

देश के उच्च स्तरीय संस्थानों में चयन के लिए केवल E1 श्रेणी के अभ्यर्थी ही पात्र होंगे। वर्तमान में overall NIRF ranking 1-50 Institutes का विवरण अनुलग्नक-5 पर संलग्न है।

- (iv) **छात्रवृत्ति निम्नानुसार देय होगी—**

RajKaj Ref
6113719

- A. योजना में निर्धारित मूल्यांकनों के प्रथम चरण में E1 श्रेणी के आवेदकों पर विचार किया जायेगा। द्वितीय एवं तृतीय चरण में E1 श्रेणी एवं E2 श्रेणी के योग्य एवं पात्र विद्यार्थियों को चुना जायेगा।

अंतिम चरण में E1, E2 के साथ—साथ E 3 श्रेणी के आवेदकों पर विचार किया जाएगा। चयन के लिए सर्वप्रथम E 1 श्रेणी पर विचार होगा। उसके उपरान्त E2 श्रेणी तथा अंतिम चरण तक E1 श्रेणी एवं E2 श्रेणी के पात्र आवेदक उपलब्ध नहीं रहने की स्थिति में ही E 3 श्रेणी के विद्यार्थियों के आवेदन पर विचार किया जाएगा।

- B. 30 प्रतिशत अवार्ड /सीटें केवल E1 एवं E2 श्रेणी की छात्राओं के लिए चिह्नित हैं। E1 श्रेणी की छात्राओं को 30 प्रतिशत रिक्तियों के लिए सर्वप्रथम चुना जायेगा, यदि E1 छात्राएँ उपलब्ध नहीं होती हैं एवं सीटें रिक्त रह जाती हैं तो उसी स्थिति में E2 श्रेणी की छात्राओं को चुना जायेगा। छात्राओं के लिए चिह्नित रिक्तियां नहीं रहने पर सामान्य मेरिट के आधार पर भी अनुमत होगा।
- C. E3 श्रेणी की छात्राएँ केवल सामान्य मेरिट के आधार पर ही चयनित होंगी। इसके उपरान्त भी अवॉर्ड रिक्त रहने की स्थिति में छात्रों को यह अवार्ड आवंटित किये जा सकेंगे। E1 एवं E2 श्रेणी की छात्राओं के लिए 30 प्रतिशत अवार्ड शुरू के चरणों में नहीं भरे जाने की स्थिति में अंतिम चरण तक यह सीटें रिक्त रखी जायेगी। इन रिक्तियों का समायोजन अंतिम चरण में ही अनुमत होगा तथा सामान्य मेरिट के आधार पर ही यह अवार्ड आवंटित किये जा सकेंगे।
- D. स्नातक स्तर पर अधिकतम 7.5% (Rounded off to 22) विद्यार्थियों को B.E, B.Tech, B.Arch, MBBS, BDS, (Engg, Architecture, Medical, Dentistry etc) कोर्सेज हेतु यह छात्रवृत्ति निम्न प्रकार से प्रदान की जायेगी—
 - (i) 1 से 150 QS वैश्विक रैंकिंग वाले विश्वविद्यालय/ संस्थान ही अनुमत होंगे। इसके अतिरिक्त इन कोर्सेज एवं विषयों में कोर्सवाईज सर्वोत्तम 25 QS वैश्विक रैंकिंग होना आवश्यक है। इन छात्र/छात्राओं का चयन का आधार विश्वविद्यालय/संस्थान की QS वैश्विक रैंकिंग रहेगी। इन कोर्सेज के लिए सीटों को कोई आरक्षण नहीं है।
 - (ii) स्नातक स्तर पर इंजीनियरिंग एवं साइंस के कोर्सेज के Hybrid होने की स्थिति में विद्यार्थी का चयन इस प्रकार के विषय को अन्य विषयों की श्रेणी में मानकर किया जायेगा।
- E. देश के उच्च स्तरीय संस्थानों (1-50 NIRF Overall Ranking) में अध्ययनके लिए केवल E1 श्रेणी के अभ्यर्थी ही आवेदन कर सकेंगे। 30 प्रतिशत अवार्ड /सीटें केवल छात्राओं के लिए चिह्नित हैं।

4. योजना के अन्तर्गत छात्रवृत्ति की अवधि

- (i) उक्त योजनान्तर्गत विश्वविद्यालय/संस्थान द्वारा निर्दिष्ट पाठ्यक्रम/अनुसंधान की न्यूनतम निर्धारित अवधि (बिना किसी अभिवृद्धि के) की पूर्णता तक अथवा नीचे उल्लेखित पाठ्यक्रम की अवधि तक, में से जो भी पहले हो, के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जावेगी:-
 - (अ) पोस्ट-डॉक्टरल अनुसंधान – अधिकतम 1.5 (एक वर्ष छ माह) वर्ष।
 - (ब) पीएचडी – अधिकतम 3 (तीन) वर्ष।
 - (स) स्नातकोत्तर उपाधि – अधिकतम 2 (दो) वर्ष। **RajKaj Ref 6113719**
 - (द) स्नातक उपाधि – अधिकतम 4 (चार) वर्ष

- (ii) अत्यावश्यक परिस्थितियों में पाठ्यक्रम हेतु निर्धारित अवधि से अधिक अवधि तक विद्यार्थी के विदेश में ठहराव पर विचार किया जा सकता है। इस आशय से विद्यार्थी को संबंधित शैक्षणिक संस्थान/विश्वविद्यालय के सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी एक संस्तुति पत्र प्रस्तुत करना होगा जो यह प्रमाणित करता हो कि पाठ्यक्रम को पूर्ण करने हेतु उक्त अवधि का अधिक ठहराव अभ्यर्थी हेतु नितांत आवश्यक है। यद्यपि निर्धारित अवधि से अधिक अवधि वाले समय में किसी प्रकार की कोई वित्तीय सहायता प्रदान नहीं की जायेगी।
- (iii) उपरोक्त के संबंध में अंतिम निर्णय प्रशासनिक विभाग की सक्षमता में रहेगा।

5. ऑनलाइन पोर्टल पर छात्रवृत्ति हेतु आवेदन

छात्रवृत्ति हेतु सभी आवेदन राजस्थान सरकार के पोर्टल/वेबसाइट (<https://hte.rajasthan.gov.in/online-scholarship>) पर आवश्यक रूप से जनआधार के माध्यम से प्राप्त किये जायेंगे। विद्यार्थी से आवेदन प्राप्त करने के उपरांत विद्यार्थी के चयन किए जाने तक समस्त प्रक्रिया ऑनलाइन पोर्टल पर ही निष्पादित की जाएगी एवं समय-समय पर विद्यार्थी को संबंधित सूचनाएं भी पोर्टल पर ही प्रेषित की जाएंगी।

- (i) संबंधित वित्तीय वर्ष के लिए छात्रवृत्ति अवॉर्ड के आवेदन हेतु पोर्टल 1 अप्रैल से मूल्यांकन के अंतिम चरण तक अथवा 300, 200 चयन पूर्ण होने तक जो भी पहले हो तक खुला रहेगा, उसके उपरांत पोर्टल बंद रहेगा। छात्रवृत्ति अवॉर्ड हेतु चयन के लिए मूल्यांकन आय श्रेणी अनुसार आवश्यकतानुसार विभिन्न चरणों में किया जाएगा। वित्तीय वर्ष 2024–25 से यह मूल्यांकन चार बार तत्समय प्रचलित गाइडलाइन्स के अनुसार क्रमशः 1 मई, 15 जून, 15 नवंबर एवं 15 जनवरी को किया जाएगा। 16 जनवरी से 31 मार्च तक पोर्टल बंद रहेगा।
- (ii) संबंधित वित्तीय वर्ष के लिए 300, 200 अभ्यर्थियों के चयन हो जाने पर शेष रहे आवेदन निरस्त माने जाएंगे।
- (iii) संबंधित वित्तीय वर्ष में चयन हेतु मूल्यांकन के लिए तय की गई दिनांकों को विभाग की वेबसाइट एवं समाचार पत्रों में प्रकाशित किया जाएगा।
- (iv) प्रशासनिक विभाग द्वारा चयन हेतु मूल्यांकन के लिए तय की गई दिनांकों से पूर्व प्राप्त आवेदनों का उस चरण में मूल्यांकन किया जाएगा। संबंधित वित्तीय वर्ष के लिए छात्रवृत्ति अवॉर्ड हेतु सीटें रिक्त रहने की स्थिति में ही आगामी चरण में चयन किया जाएगा।
- (v) संबंधित वित्तीय वर्ष के लिए विदेशी संस्थानों में छात्रवृत्ति अवॉर्ड हेतु चयन के लिए मूल्यांकन हेतु प्रथम चरण में E1 द्वितीय एवं तृतीय चरण में E1 एवं E2 तथा अंतिम चरण में E1, E2 एवं E3 श्रेणी के विद्यार्थियों को सम्मिलित किया जाएगा। उक्त चरणों में योजना के नियमानुसार जिन आवेदनों पर विचार नहीं किया गया, उन्हे उस वित्तीय वर्ष में पुनः आवेदन करने की आवश्यकता नहीं होगी। ऐसे अभ्यर्थियों के आवेदनों का श्रेणी अनुसार संबंधित चरण में नियमानुसार मूल्यांकन किया जाएगा।
- (vi) संबंधित वित्तीय वर्ष के लिए विदेशी संस्थानों में छात्रवृत्ति अवॉर्ड हेतु E3 श्रेणी के विद्यार्थियों का चयन के लिए मूल्यांकन केवल अंतिम चरण में ही किया जाएगा। E1 एवं E2 का एक भी आवेदक दिशानिर्देशों में पात्र नहीं रहने पर **RajKaiRef 8113719** विद्यार्थियों पर विचार किया जाएगा।

- (vii) संबंधित वित्तीय वर्ष की 1 अप्रैल को तत्समय उपलब्ध नवीनतम QS (1-150) वैशिक रैंकिंग/NIRF(Overall 1-50 Ranking) के अनुसार विश्वविद्यालयों/संस्थानों की सूची सम्पूर्ण वित्तीय वर्ष के लिए मान्य होगी।
- (viii) उपरोक्त के संबंध में अंतिम निर्णय प्रशासनिक विभाग की सक्षमता में रहेगा।

6. पात्रता मापदण्ड

- (i) **मूल निवासी** :—आवेदनकर्ता को राजस्थान का मूल निवासी होना एवं राजस्थान के मूल निवासी होने का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
- (ii) **आयु** :—आवेदनकर्ता की आयु छात्रवृत्ति आवंटन से संबंधित वित्तीय वर्ष में 01 जुलाई को 35 वर्ष से कम होना अनिवार्य है।
- (iii) **अकादमिक उत्कृष्टता**:—इस योजना में आवेदन हेतु केवल वे अभ्यर्थी ही पात्र होंगे जिन्होंने नवीनतम QS वैशिक रैंकिंग अनुसार सूचीबद्ध निर्धारित विश्वविद्यालयों/संस्थानों अथवा 1–50 overall रैंकिंग वाली NIRF संस्थानों में से किसी भी विश्वविद्यालय/संस्थान से ऑफर पत्र/कन्फर्मेशन लैटर/ प्रवेश पत्र प्राप्त कर लिया है।

छात्रवृत्ति हेतु अंतरिम चयन (Provisional selection) की दिनांक से 2 माह की अवधि में सभी provisionally चयनित विद्यार्थियों को आवश्यक रूप से unconditional ऑफर पत्र/प्रवेश पत्र प्रस्तुत करना होगा तथापि किसी भी प्रकार की वित्तीय शर्त जिसे की ऑफर पत्र में समिलित किया गया है जैसे की फीस जमा करना या अन्य कोई राशि या प्रूफ ऑफ सोर्स ऑफ फंड आदि से अभ्यर्थी की पात्रता प्रभावित नहीं होगी।

- (iv) **द्वितीय, तृतीय से लेकर अन्तिम वर्ष/सेमेस्टर में अध्ययनरत विद्यार्थी**—इस योजना में आवेदन हेतु उन विद्यार्थियों को भी पात्र माना जायेगा, जिन्होंने उपरोक्त विश्वविद्यालयों/संस्थानों में पूर्व सत्रों में प्रवेश पाकर वर्तमान में भी कोर्स पूर्ण होने के प्रयोजन से अध्ययन जारी रखा है। अर्थात् छात्रवृत्ति आवेदन हेतु द्वितीय, तृतीय से लेकर अन्तिम वर्ष/सेमेस्टर में अध्ययनरत विद्यार्थी भी पात्र होंगे।
- (v) इस योजना में छात्रवृत्ति का लाभ एक अभ्यर्थी को जीवन में केवल एक बार ही दिया जायेगा। एक से अधिक बार लाभ लेने हेतु किये गये आवेदनों पर विचार नहीं किया जायेगा।
- (vi) **कार्यरत व्यक्ति**—राज्य एवं भारत सरकार तथा उनके उपक्रम एवं वित्तीय सहायता प्राप्त संस्थान के अंतर्गत स्थायी रूप से कार्यरत व्यक्ति इस योजना में आवेदन के लिए पात्र नहीं होंगे। उक्त के अतिरिक्त अन्य क्षेत्रों में कार्यरत व्यक्ति इस स्कीम में आवेदन के लिए पात्र होंगे परन्तु छात्रवृत्ति हेतु चयन पश्चात उन्हें कोर्स आरंभ होने की तिथि से एक माह पूर्व ही कार्यरत नहीं होने का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा एवं छात्रवृत्ति पोर्टल के माध्यम से इसकी सूचना आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा को देनी होगी। किसी भी स्थिति में यदि चयनित अभ्यर्थी कोर्स की अवधि के दौरान कहीं भी ~~कार्यरत~~ रहा हो तो उसका छात्रवृत्ति हेतु किया **6113719** गया चयन निरस्त कर दिया जाएगा एवं प्राप्त किए गए वित्तीय लाभों की वसूली की जाएगी।

7. मेरिट निर्धारण एवं चयन समिति –

- (i) योजना के अंतर्गत मेरिट का निर्धारण प्रावधान 3-iv(A) 3- iv (B) 3- iv (C) 3- iv (D) 3- iv (E) एवं 7(ii) के अनुसार किया जाएगा ।
- (ii) विदेश के विश्वविद्यालयों संस्थान में चयन हेतु मूल्यांकन के द्वितीय एवं तृतीय चरण में वरीयता का क्रम E1 तत्पश्चात E2 रहेगा । मूल्यांकन के अंतिम चरण में चयन हेतु वरीयता का क्रम E1 तत्पश्चात E2 तत्पश्चात E3 रहेगा । देश के उच्च स्तरीय संस्थानों में चयन के लिए केवल E1 श्रेणी के अभ्यर्थी ही पात्र होंगे । मेरिट का निर्धारण निर्धारित विश्वविद्यालयों की QS वैश्विक रैंकिंग एवं NIRF Overall Ranking के आधार पर किया जायेगा । मेरिट समान होने की स्थिति में Postdoc, PhD, PG एवं UG कोर्स के क्रम में वरीयता दी जायेगी । इसके पश्चात भी मेरिट समान होने की स्थिति में जन्म तिथि के आधार पर उम्र में अधिक अभ्यर्थी को मेरिट निर्धारण में वरीयता दी जाएगी ।
- (iii) अभ्यर्थियों के दस्तावेज सत्यापन (ऑनलाइन) का कार्य Scrutiny Committee द्वारा किया जाएगा । आयुक्त, कॉलेज शिक्षा द्वारा इस Scrutiny Committee का निर्धारण किया जायेगा ।
- (iv) अभ्यर्थियों का अंतिम चयन, चयन समिति द्वारा किया जाएगा:- चयन समिति निम्नानुसार होगी–

क्र. सं.	पद	पद
1.	अतिरिक्त मुख्य सचिव/प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव उच्च शिक्षा विभाग	अध्यक्ष
2.	आयुक्त कॉलेज शिक्षा	सदस्य
3.	वित्तीय सलाहकार/मुख्य लेखाधिकारी	सदस्य
4.	विषय विशेषज्ञ (Engineering), RTU, Kota के प्रोफेसर	सदस्य
5.	संयुक्त निदेशक	सदस्य सचिव

- (v) चयन समितिः Scrutiny समिति द्वारा आवश्यक समझे जाने पर अन्य किन्हीं भी विषय विशेषज्ञों जिन्हे आवश्यक समझा जावे, की सहायता भी ली जा सकेगी
- (vi) चयन समिति द्वारा अभ्यर्थियों के चयन के पश्चात् अंतरिम चयन सूची जारी की जावेंगी ।
- (vii) **मूल दस्तावेजों का सत्यापन**— आवश्यकता होने पर मूल दस्तावेजों का सत्यापन कराया जा सकेगा ।
- (viii) **कोर्स को स्थगित (Defer) करना**— विशेष परिस्थितियों में राज्य सरकार की अनुमति के उपरांत अभ्यर्थी को छात्रवृत्ति चयन पत्र जारी किए जाने की दिनांक से 1 वर्ष तक अपने कोर्स को जिसके लिए विद्यार्थी का चयन किया गया है को स्थगित (Defer) किए जाने की अनुमति प्रदान की जा सकेगी । RajKaj Ref
6113719
- (ix) विभिन्न चरणों में किये गये चयन का आपस में कोई संबंध नहीं रहेगा । प्रत्येक चरण में चयन का आधार उस समय उपलब्ध आवेदन ही रहेंगे ।

जैसे की किसी भी आय श्रेणी के विद्यार्थी का चयन higher QS रैंक (30) होते हुए भी अगले चरणों में नहीं हो पाता है (क्योंकि उसने पूर्व के चरणों में आवेदन नहीं किया है) जबकि पूर्व चरणों में उस से lower QS रैंक (100) वाले विद्यार्थी का चयन हो जाता है तो higher QS रैंक वाले विद्यार्थी का कोई क्लेम नहीं होगा ।

8. परिवार की परिभाषा एवं आय का निर्धारण:

- (i) स्कीम में आय निर्धारण हेतु परिवार को निम्न प्रकार परिभाषित किया जाएगा—

अवस्था / स्थिति	गणना योग्य आय
माता-पिता दोनों के जीवित होने की स्थिति	माता, पिता एवं अभ्यर्थी
माता-पिता दोनों में से किसी एक के जीवित होने की स्थिति	जीवित माता/पिता एवं अभ्यर्थी की आय
माता-पिता दोनों के जीवित नहीं होने की स्थिति	केवल अभ्यर्थी की आय
माता-पिता का तलाक होने की स्थिति	अभ्यर्थी जिसके साथ रह रहा हो, उस माता/पिता की एवं अभ्यर्थी की आय
अभ्यर्थी के विवाहित होने की स्थिति	अभ्यर्थी का पति/पत्नी एवं अभ्यर्थी की आय

उपरोक्त वर्णित सभी स्थितियों में हिन्दू अविभाजित परिवार की आय तथा किसी कम्पनी में निदेशक/अधिकारी से होने वाली सेलेरी के रूप में सकल आय, कंपनी/फर्म की आय/लाभ सम्मिलित होंगे ।

- (ii) अभ्यर्थी के परिवार की सकल (Gross) वार्षिक आय हेतु आवेदक स्वयं एवं उसके परिवार की सभी स्त्रोतों से कुल पारिवारिक आय के आकलन के लिए अद्यतन आयकर रिटर्न (ITR) की एक प्रति भी संलग्न की जानी होगी । परिवार के उक्त सदस्यों द्वारा ITR नहीं भरे जाने की स्थिति में 100 रुपए के Non Judicial Stamp पर इस आशय का शपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा ।
- (iii) अभ्यर्थी को सभी स्त्रोतों से सकल पारिवारिक आय का निर्धारित प्रारूप में घोषणा पत्र (अनुलग्नक-2 के अनुसार) प्रस्तुत करना होगा । इस घोषणा पत्र को साक्ष्य के रूप आवश्यक रूप से दो राजपत्रित अधिकारियों एवं प्रमाणितकर्ता के बतौर आवश्यक रूप से कार्यपालक मजिस्ट्रेट से हस्ताक्षरित कराना होगा ।
- (iv) विभाग द्वारा सभी जिला कलेक्टर्स को ये निर्देश प्रदान किये जायेंगे की इस स्कीम के तहत उनके जिलों में आवेदकों को जारी किये जाने वाले आय के घोषणा पत्र (अनुलग्नक-2 के अनुसार) का प्रमाणीकरण कार्यपालक मजिस्ट्रेट द्वारा इस सन्दर्भ में संतुष्ट होने के उपरांत 07 दिवस के अंदर आवश्यक रूप से किया जावे ।
- (v) कुछ अभ्यर्थियों के अभिभावकों की आई टी आर में कुछ विशिष्ट प्रकृति की आय जो प्रायः वार्षिक नहीं होती, सम्मिलित होती है **RajKaj Re** जैसे 71 सेवानिवृति परिलाभ/ उपहार (Gift) /परिसम्पत्तियों/ के बेचान इत्यादि । अभ्यर्थी की आय श्रेणी का निर्धारण करने के लिए इस प्रकार की आय को आय निर्धारण में शामिल नहीं किया जायेगा ।

- (vi) आय में विदेश में से अर्जित होने वाली आय भी सम्मिलित की जायेगी।
- (vii) आवेदन के समय श्रेणी निर्धारण करने के उपरान्त उसकी श्रेणी में कोई परिवर्तन नहीं किया जायेगा।
- (viii) आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा विभाग अभ्यर्थी के परिवार की कुल वार्षिक आय की जॉच किसी भी प्रकार से (by any means) करने के लिए सदैव स्वतंत्र रहेगा।

9. छात्रवृत्ति अवार्ड हेतु एक परिवार के अधिकतम लाभार्थियों की संख्या

- (i) सामान्यतया एक परिवार से एक ही संतान को छात्रवृत्ति प्रदान की जायेगी। परन्तु निम्नलिखित स्थितियों में E-1, E-2 श्रेणी के परिवार में एक ही परिवार से दो संतान को भी छात्रवृत्ति देय होगी—
 - (अ) परिवार में अगर पहली छात्रवृत्ति पुत्री को प्रदान की जा चुकी होगी तो ऐसे में दूसरी आवेदक संतान अगर पुत्री होगी तो दूसरी पुत्री को भी छात्रवृत्ति देय होगी।
 - (ब) परिवार में अगर पहली छात्रवृत्ति पुत्र को प्रदान की जा चुकी होगी तो ऐसे में दूसरी आवेदक संतान अगर पुत्री होगी तो दूसरी पुत्री को भी छात्रवृत्ति देय होगी।
 - (स) किसी भी स्थिति में छात्रवृत्ति दो से अधिक संतान को देय नहीं होगी।
- (ii) E-3 श्रेणी के परिवार से किसी भी स्थिति में परिवार के केवल एक ही सदस्य को यह छात्रवृत्ति देय होगी।

10. छात्रवृत्ति संबंधी वित्तीय प्रावधान

- (i) छात्रवृत्ति हेतु निम्नांकित प्रकार से वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी –

श्रेणी	ट्यूशन फीस कोर्स अवधि के दौरान (प्रतिवर्ष अधिकतम)	कोर्स अवधि के दौरान लिविंग एक्सपेंसेज
		<p>वार्षिक रखरखाव भत्ता, वार्षिक आकस्मिक व उपकरण भत्ता, चिकित्सा बीमा प्रीमियम, Accommodation, TCS आदि समस्त खर्चों हेतु एवं एकबारगी खर्चों हेतु अग्रिम भुगतान, वीजा शुल्क, विदेश जाने एवं भारत आने का इकोनॉमी क्लास का विमान किराया, लेपटॉप आदि</p>
E 1	50 लाख रुपये	<p>विदेश में अध्ययन हेतु लिविंग एक्सपेंसेज पोर्टल पर आवेदन तिथि के पश्चात् अध्ययन शुरू करने वाले विद्यार्थी को योजनान्तर्गत कोर्स अवधि के प्रथम वर्ष में</p> <ul style="list-style-type: none"> • लिविंग एक्सपेंसेज हेतु प्रत्येक माह 75,000/- • विदेश में अध्ययन Rakai ⁶¹¹³⁷¹⁹ एकबारगी खर्चों हेतु एक बार 3 लाख रुपये अग्रिम भुगतान, केवल प्रथम वर्ष के लिए योजनान्तर्गत कोर्स अवधि के अन्य वर्षों में

		<ul style="list-style-type: none"> ● लिविंग एक्सपेंसेज हेतु प्रत्येक माह 1,00,000/- पोर्टल पर आवेदन तिथि के पूर्व से अध्ययनरत विद्यार्थी को ● योजनान्तर्गत आगामी कोर्स अवधि के दौरान लिविंग एक्सपेंसेज हेतु प्रत्येक माह 1 लाख रुपये ● आवेदन तिथि से पूर्व की कोर्स अवधि के लिए कोई भुगतान देय नहीं होगा <p style="text-align: center;">देश में अध्ययन हेतु लिविंग एक्सपेंसेज 25000/- प्रति माह, 3.00 लाख रुपये प्रतिवर्ष</p>
E 2	50 लाख रुपये	योजनान्तर्गत कोर्स अवधि के दौरान लिविंग एक्सपेंसेज हेतु प्रत्येक माह 50000 रुपये
E 3	50 लाख रुपये	कोई भुगतान नहीं

यदि ट्यूशन फीस की इनवाइस में लिविंग एक्सपेंसेज या अन्य किसी खर्च को शामिल पाया जायेगा तो ट्यूशन फीस में से इन अन्य खर्चों को घटाकर ही ट्यूशन फीस का भुगतान किया जायेगा।

अभ्यर्थी को देय विभिन्न प्रकार के खर्चे

योजना के प्रावधान अनुसार अभ्यर्थी को ट्यूशन फीस, लिविंग एक्सपेंसेज, एक बारगी खर्च हेतु अग्रिम भुगतान एवं बैंच फीस का भुगतान किया जायेगा। इन खर्चों के अलावा अभ्यर्थी को अन्य किसी प्रकार का कोई भुगतान नहीं किया जाएगा।

(ii) ट्यूशन फीस . अभ्यर्थी के विश्वविद्यालय द्वारा योजनान्तर्गत अनुमत कोर्स हेतु ली जाने वाली ट्यूशन फीस

(iii) लिविंग एक्सपेंसेज – योजनान्तर्गत सभी खर्चों जैसे वार्षिक रखरखाव भत्ता, वार्षिक आकस्मिक व उपकरण भत्ता, चिकित्सा बीमा प्रीमियम, Accommodation, TCS खर्च आदि को “लिविंग एक्सपेंसेज” की श्रेणी में माना जायेगा ।

प्रावधान 10 (i) के अनुसार लिविंग एक्सपेंसेज के लिए अभ्यर्थी को प्रतिमाह एक मुश्त राशि का भुगतान किया जा सकेगा।

इस हेतु E1 एवं E2 के विदेश के विश्वविद्यालय & संस्थान हेतु चयनित अभ्यर्थियों को नियमानुसार अधिकतम क्रमशः 12 लाख एवं 6 लाख वार्षिक ही देय होंगे । देश में अध्ययन हेतु यह राशि 3.00 लाख वार्षिक अधिकतम देय होगी।

अब तक चयनित अभ्यर्थियों को लिविंग एक्सपेंसेज का जो भुगतान अभी तक किया जा चुका है, उसकी गणना कर, बकाया भुगतान अभ्यर्थियों को आय की श्रेणी के अनुसार इन दिशानिर्देशों के अधीन किया जाएगा ।

(iv) एक बारगी खर्चों हेतु अग्रिम भुगतान— वीजा शुल्क, विदेश जाने एवं भारत आने का इकोनॉमी क्लास का विमान किराया, लेपटॉप आदि सभी खर्चों को “एक बारगी खर्चों हेतु अग्रिम भुगतान” की श्रेणी में माना जायेगा

RajKaj Ref

6113719

यह अग्रिम भुगतान की सुविधा केवल E1 श्रेणी के अभ्यर्थियों को कोर्स प्रारम्भ करने के उद्देश्य से विदेश जाने से पूर्व सम्पूर्ण कोर्स अवधि के प्रथम वर्ष में केवल एक बार 3 लाख रु का अग्रिम

भुगतान Visa की प्रति उपलब्ध कराने पर किया जायेगा जो की अभ्यर्थी को प्रथम वर्ष में दिए जाने वाले 1 लाख रुपये प्रतिमाह में समायोजित किए जाएंगे। आगामी वर्षों (द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ वर्ष आदि) में यह अग्रिम भुगतान देय नहीं होगा। यह भुगतान ऐसे अभ्यर्थियों को ही देय होगा जिनका कोर्स आवेदन किए जाने की तिथि के पश्चात प्रारंभ होगा।

विशेष परिस्थितियों में E1 आय श्रेणी के अभ्यर्थियों के लिए यदि वह चयनित हैं तो उन्हें वीजा प्राप्त करने के लिए आवश्यक सहयोग हेतु प्रशासनिक विभाग द्वारा निर्णय किया जा सकेगा।

- (v) **बैंच फीस-**योजना अंतर्गत पीएचडी एवं पोस्ट डॉक्टरल कर रहे विद्यार्थियों को ट्यूशन फीस के अतिरिक्त बैंच फीस भी प्रदान की जायेगी। परंतु ट्यूशन फीस एवं बैंच फीस की कुल अधिकतम राशि 50 लाख रुपए वार्षिक ही देय होगी।
- (vi) लिविंग एक्सपेंसेज एवं एक बारगी खर्चों हेतु अग्रिम भुगतान के रूप में विद्यार्थी को देय राशि का वास्तविक खर्चों से कोई सरोकार नहीं होगा तथा इस हेतु देय राशि, योजनान्तर्गत निर्धारित प्रक्रिया के तहत विद्यार्थी को प्रदान की जायेगी। इस राशि के अलावा कोई अन्य राशि विद्यार्थी को लिविंग एक्सपेंसेज एवं एक बारगी खर्चों हेतु प्रदान नहीं की जायेगी।
- (vii) विद्यार्थी द्वारा शैक्षणिक भ्रमण/खेलकूद गतिविधियों/मनोरंजन गतिविधियों/पेपर पठन/कान्फ्रेन्स आदि में शामिल होने पर समस्त वित्तीय खर्चों की जिम्मेदारी स्वयं विद्यार्थियों की होगी। इस हेतु इस छात्रवृत्ति में अलग से कोई राशि प्रदान नहीं की जायेगी।
- (viii) विभिन्न विश्वविद्यालयों/संस्थानों द्वारा अपने दिशा निर्देश के अनुसार ली जाने वाली ट्यूशन फीस की राशि के अनुसार ही ट्यूशन फीस की राशि को (त्रैमासिक/छमाही/वार्षिक/सेमेस्टर) आवंटित किया जायेगा।

विभिन्न प्रकार के खर्चों हेतु देय दस्तावेज एवं प्रक्रिया

- (ix) **ट्यूशन फीस हेतु.** अभ्यर्थी के विश्वविद्यालय/संस्थान को ट्यूशन फीस का भुगतान वार्षिक/सेमेस्टर/टर्म के अनुसार विश्वविद्यालय/संस्थान से प्राप्त फीस इनवाइस के आधार पर किया जायेगा।
 यदि अभ्यर्थी द्वारा ट्यूशन फीस का भुगतान संबंधित विश्वविद्यालय/संस्थान को किया जा चुका है तो पुनर्भरण किया जायेगा। जो अभ्यर्थी इस योजना का लाभ लेगें उनकी सूची संबंधित दूतावासों से भी साझा की जायेगी। आवश्यकता पड़ने पर जिस देश के संस्थान में अध्ययनरत है वहां के भारतीय दूतावासों एवं राजरथान फाउंडेशन से भी ईमेल/विडियो कॉन्फ्रैंसिंग आदि से सम्पर्क किया जा सकेगा।
- (x) **लिविंग एक्सपेंसेज हेतु.** लिविंग एक्सपेंसेज के रूप में विद्यार्थी को देय वित्तीय सहायता संबंधित विश्वविद्यालय/संस्थान से प्राप्त एनरोलमेंट संबंधी दस्तावेज (Confirmation of Enrollment/ ID Card/ Proof of admission) जमा कराने पर देय होगी। विद्यार्थी को इन खर्चों के लिए किसी प्रकार की कोई इनवॉइस/बिल प्रस्तुत नहीं करनी होगी।
- (xi) **एक बारगी खर्चों हेतु अग्रिम भुगतान हेतु.** कोर्स प्रारंभ करने के उद्देश्य से प्रथम बार विदेश जाने से पूर्व केवल E1 श्रेणी के विद्यार्थियों को Visa की प्रति **RaiKai Ref 6113719** उपलब्ध कराने पर सम्पूर्ण कोर्स अवधि के प्रथम वर्ष में केवल एक बार 3 लाख रु का भुगतान किया जायेगा। विद्यार्थी को इन खर्चों के लिए किसी प्रकार की कोई इनवॉइस/बिल प्रस्तुत नहीं करनी होगी।

- (xii) बैंच फीस हेतु विश्वविद्यालय/ संस्थान से प्राप्त फीस इनवाइस के आधार पर बैंच फीस का भुगतान किया जायेगा ।
- (xiii) यदि विश्वविद्यालय/ संस्थान द्वारा Accommodation या Health Insurance का Invoice दिया जाता है तो भुगतान सीधा विश्वविद्यालय/ संस्थान को किया जा सकेगा, जो कि अभ्यर्थी को योजनानुसार देय लिविंग एक्सपेन्सेज में समायोजित कर दिया जायेगा । विश्वविद्यालय/ संस्थान द्वारा प्रदत्त Accommodation या Health Insurance के भुगतान हेतु अभ्यर्थी से जानकारी ली जाएगी ।
- (xiv) संबंधित सूचनाओं का सत्यापन. अभ्यर्थी की विश्वविद्यालय/ संस्थान से संबंधित सूचनाओं का सत्यापन ;by any means) संबंधित विश्वविद्यालय/ संस्थान से किया जायेगा, विश्वविद्यालय से उत्तर प्राप्त नहीं होने की स्थिति में पुनः संबंधित विश्वविद्यालय/ संस्थान से संपर्क साधा जाएगा । परन्तु फिर भी विश्वविद्यालय/ संस्थान से संबंधित सूचनाएँ प्राप्त नहीं होने की स्थिति में विभाग द्वारा जारी एसओपी (Standard Operating Procedure) के आधार पर सूचनाएँ सत्यापित कर ली जायेगी ।

दूसरी छात्रवृत्ति/फैलोशिप/स्पॉन्सरशिप/ग्रांट/अवॉर्ड प्राप्त होने पर

- (xv) दूसरी छात्रवृत्ति/स्पॉन्सरशिप/अवार्ड/ग्रांट— ऐसे विद्यार्थी जिन्हें राजकीय/निजी संस्था/ट्रस्ट/ कंपनी/विदेशी विश्वविद्यालय/विदेशी एजेंसी इत्यादि किसी भी स्त्रोत से कोई भी दूसरी छात्रवृत्ति/ फैलोशिप/स्पॉन्सरशिप/ अवार्ड/ग्रांट या कोई अन्य वित्तीय सहायता (प्रावधान 10.xviii में अर्जित आय को छोड़कर) राशि यदि समान कोर्स (यथा पोस्ट-डॉक्टरल अनुसंधान, पीएच.डी., स्नातकोत्तर एवं स्नातक उपाधि) में प्राप्त हो रही है तो उन्हें इस योजना में प्रदान की जाने वाली ट्यूशन फीस में से दूसरी छात्रवृत्ति/ फैलोशिप/स्पॉन्सरशिप/अवार्ड/ग्रांट या कोई अन्य वित्तीय सहायता के अन्तर्गत मिल रही कुल वित्तीय राशि को घटाकर ही इस छात्रवृत्ति में वित्तीय लाभ प्रदान किया जायेगा ।
- (xvi) घोषणा पत्र— विद्यार्थी को कोर्स की अवधि में प्रत्येक वर्ष इस आशय का एक घोषणा पत्र भी प्रस्तुत करना होगा कि उसके द्वारा दूसरी छात्रवृत्ति/ फैलोशिप/स्पॉन्सरशिप/ग्रांट/अवॉर्ड से राशि समान कोर्स (यथा पोस्ट-डॉक्टरल अनुसंधान, पीएच.डी., स्नातकोत्तर एवं स्नातक उपाधि) हेतु प्राप्त की जा रही है अथवा नहीं, यदि प्राप्त की जा रही है तो उसका विवरण प्रस्तुत करना होगा ।
- (xvii) पुरस्कार राशि- विदेशी संस्थानों में अध्ययनरत ऐसे अभ्यर्थी जिन्हें निजी/सरकारी संस्था/ट्रस्ट/कंपनी/विदेशी विश्वविद्यालय/विदेशी एजेंसी से 100 प्रतिशत ट्यूशन फीस प्राप्त हो रही है एवं लिविंग एक्सपेन्सेज भी देय नहीं है तो ऐसे अभ्यर्थियों को कोर्स की अवधि में एक बार 2000 US डॉलर पुरस्कार राशि के रूप में प्रदान किये जायेगे । ऐसे अभ्यर्थी स्कीम के अंतर्गत अन्य वर्षों में भी आवेदन के लिए पात्र होंगे । **RajKaj Ref
6113719**

अन्य वित्तीय प्रावधान

- (xviii) अनुसंधान/शिक्षण सहायक से आय -छात्रवृत्ति प्राप्तकर्ताओं को कोर्स अवधि के दौरान अनुसंधान/शिक्षण सहायक के रूप में वैधानिक तरीके से आय अर्जित करने की अनुमति होगी। सभी आय श्रेणी के पीजी, पीएचडी एवं पोर्टल डॉक्टरल अभ्यर्थियों को यदि विश्वविद्यालय/संस्थान से किसी भी रूप में अनुसंधान/शिक्षण सहायक के रूप में 12 लाख रुपये वार्षिक से अधिक राशि प्राप्त होने की स्थिति में 12 लाख रुपये वार्षिक से अधिक प्राप्त राशि को अभ्यर्थी को योजना में देय भुगतान में से कम किया जाएगा।
- (xix) संवितरण का माध्यम- विद्यार्थी को उपर्युक्त वित्तीय सहायता के वितरण का माध्यम सम्बन्धित विश्वविद्यालय को सीधे ट्रान्सफर या विद्यार्थी को पुनर्भरण या इन दोनों ही माध्यमों के रूप में किया जावेगा तथा आवश्यक होने पर थर्ड पार्टी भुगतान यथा Flywire आदि से भी भुगतान किया जा सकेगा। थर्ड पार्टी भुगतान यथा Flywire से किये जाने की स्थिति में विश्वविद्यालय/विद्यार्थी से यह राशि जमा होने की पुष्टि की जायेगी।
- (xx) ऑनलाइन मोड में अध्ययन- कोर्स की अवधि में जब भी अभ्यर्थी ऑनलाइन मोड में अध्ययन करेगा तो उस अवधि के ट्यूशन फीस एवं लिविंग एक्सपेंसेस अभ्यर्थी को देय नहीं होंगे। परंतु यह बाध्यता ऐसे ऑनलाइन कोर्सेज पर लागू नहीं होगी जिन्हे अभ्यर्थी की यूनिवर्सिटी द्वारा किसी दूसरी यूनिवर्सिटी से ऑनलाइन करने के लिए curriculum में शामिल किया गया है। यद्यपि आपातकाल की स्थिति में इस संदर्भ में राज्य सरकार द्वारा निर्णय लिया जा सकेगा।
- (xxi) पार्ट पेमेंट- अभ्यर्थी की ट्यूशन फीस के भुगतान करने के संबंध में आवश्यकता होने की स्थिति में प्राप्त फीस इनवाइस पर विचार कर पार्ट पेमेंट भी किया जा सकेगा।

11. भुगतान तिथि

निम्न तिथियों को आधार मानकर अभ्यर्थी को विभिन्न खर्चों हेतु कोर्स अवधि की समय सीमा के अन्तर्गत भुगतान किया जाएगा:-

चयनित अभ्यर्थी को देय भुगतान

- (i) पोर्टल पर आवेदन किए जाने की तिथि के पश्चात अध्ययन शुरू होने की स्थिति :-

उक्त अभ्यर्थियों को आय श्रेणी के अनुसार एक बारगी खर्चों हेतु अग्रिम भुगतान, वीजा प्राप्त करने की तिथि, लिविंग एक्सपेंसेज का भुगतान कोर्स प्रारंभ करने के उद्देश्य से विदेश में पहुंचने की तिथि, पासपोर्ट स्टेंप की तिथि, तथा ट्यूशन फीस इत्यादि का भुगतान नियमानुसार आवेदन की तिथि के उपरान्त विश्वविद्यालय से प्राप्त फीस इनवॉइस के आधार पर देय होगा।

देश के प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय/ संस्थानों हेतु लिविंग एक्सपेंसेस का भुगतान कोर्स प्रारम्भ होने की तिथि से देय होगा तथा ट्यूशन फीस इत्यादि का भुगतान विश्वविद्यालय/ संस्थान से प्राप्त फीस इनवॉइस के आधार पर देय होगा।

RajKaj Ref
6112710

पोर्टल पर आवेदन किए जाने की तिथि से पहले अध्ययनरत होने की स्थिति:-

ऐसे अभ्यर्थी जो आवेदन के समय अध्ययनरत होंगे, उन्हें आय श्रेणी अनुसार आवेदन की तिथि से शेष रहे कोर्स हेतु ट्यूशन, बैंच फीस एवं लिविंग एक्सपेन्सेज का आनुपातिक भुगतान नियमानुसार देय होगा। आवेदन तिथि से पूर्व की कोर्स अवधि के लिए कोई भुगतान देय नहीं होगा।

(ii) गाइडलाइन में किसी भी प्रकार का परिवर्तन होने पर भुगतान नवीन गाइडलाइन के लागू होने की तिथि अनुसार तथा योजना के प्रावधान के अनुसार योग्य होने की तिथि से नवीन रूप में देय होगा।

12. प्रगति की निगरानी

- (i) अभ्यर्थी को अपनी कोर्स अवधि के दौरान प्रत्येक बार विदेश से भारत (अन्य देश) में आने/जाने की सूचना आवश्यक रूप से आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा जयपुर को पोर्टल के माध्यम से देनी होगी। इसके अतिरिक्त अभ्यर्थी को पोर्टल पर प्रतिमाह अपना संक्षेप में स्टेटस बताना होगा कि वह उस माह में कहाँ रहा। इसके अतिरिक्त अभ्यर्थी को ऑनलाईन व ऑफलाईन कोर्स किए जाने का स्टेटस भी बताना होगा।
- (ii) अभ्यर्थी को सम्बंधित विश्वविद्यालय/संस्थान से वार्षिक/द्विवार्षिक प्रगति रिपोर्ट (विभिन्न मूल्यांकनों/assessments की रिपोर्ट) को पोर्टल पर साझा (share) करना होगा। प्रगति रिपोर्ट संतोषजनक पाए जाने पर या अगले सेमेस्टर/वर्ष में प्रमोट किए जाने पर ही अभ्यर्थी को वित्तीय सहायता आगामी कोर्स अवधि के लिए प्रदान की जाएगी।
- (iii) अभ्यर्थी को कोर्स प्रारंभ होने के पश्चात प्रत्येक 6 माह बाद योजना के प्रावधानानुसार उपभोग की गयी छात्रवृत्ति राशि का self declaration निर्धारित फॉर्मेट में पोर्टल के माध्यम से प्रस्तुत करना होगा।

13. छात्रवृत्ति के लिए अन्य अनिवार्य शर्तें

- (i) चयन उपरान्त, चयनित उम्मीदवार एक नोटरी पब्लिक के समक्ष निर्धारित मुद्रा रूपये 500/- के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर पर वित्त विभाग द्वारा अनुमोदित प्रारूप के अनुसार एक Indemnity Bond (अनुलग्नक 3) का निष्पादन, दो उत्तरदायी (Surety) के साथ विभाग को प्रस्तुत करेगा। प्रत्येक Surety बांड भारतीय रूपये में, जो विदेश/देश में अध्ययन की पूरी अवधि के दौरान सरकार के द्वारा छात्रवृत्ति प्राप्त विद्यार्थी पर यात्रा व्यय, शिक्षण शुल्क, रखरखाव और आकस्मिक भत्ते, वजीफा, छात्रवृत्ति और अन्य विविध खर्चों के भुगतान के लिए भरा जायेगा। योजना के प्रावधानों के तहत राजस्थान सरकार द्वारा डिफॉल्टर घोषित होने की स्थिति में उपर्युक्त राशि संयुक्त रूप से या/और अलग-अलग उत्तरदायी द्वारा देय होगा। राजस्थान सरकार द्वारा तय की गई बॉन्ड की भाषा उम्मीदवार को स्वीकार्य होगी।

RajKaj Ref
6113719

- (ii) उम्मीदवार को राजस्थान सरकार द्वारा निर्धारित तरीके से राजस्थान सरकार के साथ एक बॉण्ड निष्पादित करना होगा ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि वह योजना के दिशा निर्देशों का पालन

करते हुए पाठ्यक्रम पूरा करेगा, यदि आवेदक बिना उचित औचित्य के पाठ्यक्रम को बीच में छोड़ देता है तो प्राप्त छात्रवृत्ति की पूरी राशि राजस्थान सरकार द्वारा निर्धारित तरीके से वापस की जाएगी।

- (iii) कोर्स के दौरान छात्रवृत्ति प्राप्त विद्यार्थी की आकस्मिक मृत्यु होने पर उसे छात्रवृत्ति के दौरान प्रदान की गई राशि को पूर्णतः माफ कर दिया जाएगा।
- (iv) विश्वविद्यालय/संस्थान द्वारा निर्धारित Summer/winter/Easter break के दौरान अभ्यर्थी को राजस्थान सरकार द्वारा रखरखाव भत्ता प्रावधान 10(i) के अनुसार देय होगा।
- (v) छात्रवृत्ति के दौरान विद्यार्थी को सम्बन्धित देश के सभी नियमों/कानूनों का पालन करना होगा। विद्यार्थी का ऐसा कोई कृत्य जो वहों के प्रचलित कानूनों के विपरीत/उल्लंघन का होगा उसकी समस्त जिम्मेदारी विद्यार्थी स्वयं की होगी। इसके अन्तर्गत अपकृत्य/आपराधिक कृत्य व सिविल कानूनों की अवहेलना आदि सभी तरह के कृत्य शामिल होंगे। यदि विद्यार्थी द्वारा ऐसा कोई कृत्य किये जाने पर किसी प्रकार की वित्तीय देयता उत्पन्न होती है तो उसके भुगतान की समस्त जिम्मेदारी/दायित्व विद्यार्थी का होगा।
- (vi) सम्बन्धित विश्वविद्यालय/संस्थान द्वारा विद्यार्थी को किसी प्रकरण में दोषी पाये जाने पर वह स्वयं जिम्मेदार होगा और इस स्थिति में राज्य सरकार छात्रवृत्ति को रोकने के अधिकारी होगी। इस स्थिति में राज्य सरकार द्वारा छात्रवृत्ति देय नहीं होगी।
- (vii) विद्यार्थी को स्कीम के नियमों से बाध्य रहने का एक शपथ पत्र भी प्रस्तुत करना होगा।
- (viii) अभ्यर्थियों को सरकार द्वारा समय—समय पर निर्धारित बॉण्डों को निष्पादित करना अनिवार्य होगा।
- (ix) किसी भी जानकारी के सम्बन्ध में शपथ पत्र को सक्षम अधिकारी द्वारा सत्यापित करवाकर ही लिया जायेगा।
- (x) यदि छात्रवृत्ति प्राप्तकर्ता को किसी अन्य सरकारी एजेंसी के माध्यम से भी भुगतान प्राप्त हुआ है, एवं सहवन से कुल निर्धारित भुगतान से अधिक भुगतान हो गया है तो अभ्यर्थी अधिक प्राप्त भुगतान को राजस्थान सरकार को वापस कर देगा/देगी।
- (xi) यदि छात्रवृत्ति प्राप्तकर्ता पाठ्यक्रम के सफल समापन के बाद अधिक समय तक विदेश में रहता है तो उस अवधि के किसी भी खर्च को राज्य सरकार द्वारा वहन नहीं किया जाएगा।
- (xii) विद्यार्थी को छात्रवृत्ति प्रदान करने के दौरान सहवन से रह गई त्रुटियों को राज्य सरकार के निर्णय के अनुसार निष्पादित किया जा सकेगा।
- (xiii) विदेश/देश के विश्वविद्यालय/संस्थान में पीएच.डी. अथवा पोस्ट-डॉक्टोरल शोध कार्य हेतु पंजीकृत अभ्यर्थी यदि स्वयं को ऐसी गम्भीर स्थिति में पाता/पाती है जहां उसका गाइड/मार्गदर्शक चला गया है तथा तत्काल कोई प्रतिस्थापित नहीं है या विश्वविद्यालय/संस्थान द्वारा, जहां छात्रवृत्ति प्राप्तकर्ता पीएचडी/पोस्ट डॉक्टोरल अनुसंधान कर रहा था वहां आधारभूत सुविधाओं को स्थगित कर दिया गया हो, तो **RajKaj Ref** **राजस्थान** सरकार ऐसी आवश्यकता के बारे में संतुष्ट होने के स्थिति में छात्रवृत्ति प्राप्तकर्ता को विश्वविद्यालय/संस्थान को बदलने की अनुमति देने के लिए अधिकृत है। इस प्रकार का परिवर्तन छात्रवृत्ति अवधि के दौरान एक ही बार अनुमत

है वह भी इस शर्त के अध्याधीन कि प्रारम्भिक विश्वविद्यालय में अभ्यर्थी द्वारा अर्जित क्रेडिट नवीन विश्वविद्यालय/संस्थान द्वारा स्थानान्तरण हेतु स्वीकृत किये जावें व अवार्ड की कुल अवधि ऐसे स्थानान्तरण/परिवर्तन पर भी अपरिवर्तित रहेगी।

- (xiv) छात्रवृत्ति हेतु चयन पश्चात् विद्यार्थियों को राज्य सरकार की अनुमति पश्चात् अपने विश्वविद्यालय/संस्थान को योजनान्तर्गत अनुमत विश्वविद्यालय/संस्थान में upgrade किये जाने की अनुमति दी जा सकेगी। परन्तु ऐसे प्रकरणों में नवीन संस्थान में अध्ययन हेतु विद्यार्थी को देय छात्रवृत्ति राशि में से पूर्व संस्थान में अध्ययन के दौरान भुगतान की गई छात्रवृत्ति राशि का समायोजन करते हुए शेष छात्रवृत्ति राशि ही उपलब्ध करवाई जायेगी। परन्तु नये एवं पुराने संस्थान में अध्ययन के दौरान किसी भी स्थिति में छात्रवृत्ति राशि का समायोजन कोर्स अवधि से अधिक अवधि के लिए नहीं किया जायेगा। इस प्रकार का परिवर्तन आवश्यक होने पर छात्रवृत्ति अवधि के दौरान एक ही बार अनुमत है।
- (xv) उम्मीदवार राजस्थान सरकार के पूर्व लिखित अनुमोदन के पश्चात ही योजनान्तर्गत अनुमत विश्वविद्यालय/संस्थान में उस अध्ययन या शोध के पाठ्यक्रम को बदल सकेगा, जिसके लिए छात्रवृत्ति स्वीकृत की गई है। परन्तु इससे अभ्यर्थी के कोर्स की अवधि में परिवर्तन, विश्वविद्यालय/संस्थान की QS world rank/NIRF overall Rank में निम्नीकरण (degradation) मान्य नहीं होगा। अध्ययन या शोध के पाठ्यक्रम का परिवर्तन आवश्यक होने पर छात्रवृत्ति अवधि के दौरान एक ही बार अनुमत है।
- (xvi) चयनित अभ्यर्थी को Student Exchange program/ Student transfer program में भाग ले सकेगा। इस प्रकार का परिवर्तन छात्रवृत्ति अवधि के दौरान अभ्यर्थी की यूनिवर्सिटी पॉलिसी के अनुसार अनुमत होगा वह भी इस शर्त के अध्याधीन कि प्रारम्भिक विश्वविद्यालय में अभ्यर्थी द्वारा अर्जित क्रेडिट नवीन विश्वविद्यालय/संस्थान द्वारा स्थानान्तरण हेतु स्वीकृत किये जावें व अवार्ड की कुल अवधि ऐसे स्थानान्तरण/परिवर्तन पर भी अपरिवर्तित रहेगी।
- (xvii) आवेदकों को योजना में सम्बन्धित पाठ्यक्रमों/क्षेत्रों/कोर्सेज में मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालयों/संस्थानों में स्वयं ही प्रवेश प्राप्त करना होगा। विश्वविद्यालयों/संस्थानों में GRE, GMAT, IELTS, TOFEL, SAT स्कोर की अनिवार्यता होने पर स्वयं के खर्च से इन परीक्षाओं को पास करना होगा। तथा आवेदकों को निर्दिष्ट पाठ्यक्रम/विश्वविद्यालय/संस्थान में प्रवेश पाने के लिए अपने प्रयास करने होंगे।
- (xviii) उम्मीदवार को उस देश के लिए उपयुक्त वीजा प्राप्त करना होगा जहां वे योजना के तहत आगे अध्ययन करना चाहते हैं। राजस्थान सरकार वीजा प्राप्त करने के लिए उम्मीदवार को कोई सहायता प्रदान नहीं करेगी। विशेष परिस्थितियों में E1 आय श्रेणी के PhD एवं PostDoc के अभ्यर्थियों के लिए यदि वह 1–25 QS रैंक विश्वविद्यालय के लिए चयनित हैं तो उन्हे वीजा प्राप्त करने के लिए आवश्यक सहयोग वित्त विभाग की अनुमति से किया जा सकेगा।
- (xix) अभ्यर्थी से पोर्टल पर आवेदन करते समय परिवार के सभी सदस्यों के आधार नंबर, जनाधार नंबर एवं PAN नंबर की सूचना प्राप्त की जाएगी।

**RajKaj Ref
6113719**

14. अभ्यर्थी से राज्य सरकार की अपेक्षा

- (i) समस्त छात्रवृत्ति प्राप्त अभ्यर्थियों से अपेक्षित है कि वे राजस्थान सरकार द्वारा राज्य के विकास हेतु किये जाने वाले कार्यों में वैचारिक पहल करेंगे। उनसे अपेक्षा की जाती है कि वे राजस्थान राज्य से सम्बन्धों को मजबूत करने एवं नीति निर्माण में अपनी भूमिका के निर्वहन हेतु तत्पर व सक्रिय रहेंगे।
- (ii) राज्य सरकार द्वारा अभ्यर्थी को एक रिसोर्स टैलेंट के रूप में देखा जाना अपेक्षित है। इस हेतु अभ्यर्थी से छात्रवृत्ति प्राप्त करने के दौरान अध्ययन अवकाश के समय राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त ऐसे कार्य जैसे विभिन्न राज्य सरकारों की स्कीमों का तुलनात्मक अध्ययन एवं सुधार हेतु स्वयं की अभिशंषा, सम्बन्धित विषयों पर प्रोजेक्ट रिपोर्ट आदि तैयार करना, इंजीनियरिंग कोर्सेज में अध्ययनरत छात्रों द्वारा तकनीकी सहयोग आदि जो कि राज्य हित में अभ्यर्थी को प्रदान किए जाएंगे, को नियत अवधि में पूरा करना अपेक्षित है।
- (iii) अभ्यर्थी द्वारा की गई रिसर्च/प्रस्तुत किये गये पेपर/प्रोजेक्ट कार्य या अन्य किसी प्रकार की शैक्षणिक कार्य की रिपोर्ट को भी राज्य सरकार को प्रस्तुत करना होगा।
- (iv) राज्य सरकार द्वारा अभ्यर्थी को ऑनलाईन Interaction हेतु आमंत्रित किये जाने पर अनिवार्य रूप से उपस्थित होना होगा।
- (v) छात्रवृत्ति प्राप्त अभ्यर्थियों से अपेक्षित है कि वे अपनी Alumni Association सोशल मीडिया आदि पर इस छात्रवृत्ति योजना का प्रचार-प्रसार करेंगे तथा राज्य सरकार द्वारा आवश्यकता पड़ने पर ऑनलाईन मोड में दूसरे जरूरतमन्द अभ्यर्थियों की भी विदेश अध्ययन हेतु पूर्ण सहायता करेंगे।
- (vi) छात्रवृत्ति प्राप्त अभ्यर्थियों से अपेक्षित है कि कोर्स समाप्त होने के पश्चात अभ्यर्थी प्रथम प्राथमिकता के आधार पर राजस्थान में जॉब तलाश करेंगे एवं राज्य को अपनी अकादमिक दक्षता से लाभान्वित करेंगे। अभ्यर्थी द्वारा राज्य सरकार के समक्ष "Young Intern" प्रोग्राम के लिए नियमानुसार आवेदन किए जाने पर राज्य सरकार द्वारा ऐसे अभ्यावेदनों पर प्राथमिकता से विचार किया जा सकेगा।
- (vii) छात्रवृत्ति की समय सीमा के दौरान या छात्रवृत्ति की अवधि समाप्त होने के उपरान्त, छात्रवृत्ति प्राप्त करने वाले के रोजगार के अवसरों के सम्बन्ध में इस योजना का कोई सरोकार नहीं है।

15. भ्रामक/मिथ्या जानकारी देना

यदि किसी अभ्यर्थी द्वारा छात्रवृत्ति प्राप्त करने से पूर्व अथवा पश्चात् किसी भी प्रकार की मिथ्या/भ्रामक/झूठी सूचना/छुपाई गई सूचना अथवा दस्तावेज प्रस्तुत करना पाया जाता है व सिद्ध हो जाता है तो ऐसे अभ्यर्थी को छात्रवृत्ति से वंचित कर दिया जावेगा। यदि उसके द्वारा छात्रवृत्ति राशि का लाभ उठाया गया है तो 12 प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर से उस पर व्यय की गई राशि की वसूली के लिए कार्यवाही आरम्भ की जावेगी। ऐसे अभ्यर्थी छात्रवृत्ति आवेदन हेतु आजीवन प्रतिबन्धित रहेंगे एवं सम्बन्धित अभ्यर्थी/अभिभावक के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जाएगी।

**RajKaj Ref
6113719**

16. योजना के अन्तर्गत अध्ययनरत अभ्यर्थी के दोषी पाये जाने के संबंध में प्रावधान

(i) यदि कोई अभ्यर्थी देश/विदेश में अध्ययन के दौरान किसी भी नियम और शर्तों का उल्लंघन करता है या संबंधित शैक्षणिक संस्थान/विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा राजस्थान सरकार को उसके प्रतिकूल आचरण अथवा अध्ययन के संबंध में रिपोर्ट प्राप्त होती है तथा राज्य सरकार के संज्ञान में आता है कि अभ्यर्थी किसी अन्य देश जाने के लिए, छात्रवृत्ति हेतु निर्धारित गंतव्य स्थान को छोड़ देता है या फरार हो जाता है या किसी अन्य विश्वविद्यालय या पाठ्यक्रम/कार्यक्रम में शामिल हो जाता है और राजस्थान सरकार को सूचित किये बिना भारत लौट आता है तो उसे दोषी घोषित किया जावेगा। ऐसे अभ्यर्थी को उस पर खर्च की गई सम्पूर्ण राशि को 12% वार्षिक ब्याज दर से या राजस्थान सरकार द्वारा समय—समय पर तय की जाने वाली दर के साथ वापस करना होगा।

यदि छात्रवृत्ति प्राप्तकर्ता राजस्थान सरकार द्वारा निर्धारित तरीके से ब्याज सहित ऐसी राशि का भुगतान करने में विफल रहता है, तो उसके प्रतिभू जिन्होंने बांड निष्पादित किया है, पूरी राशि का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होंगे। ऐसा न करने पर संबंधित जिले के जिला कलेक्टर को इसकी वसूली भू-राजस्व के बकाया के रूप में करानी होगी।

- (ii) यदि आवेदक सफलतापूर्वक पाठ्यक्रम पूरा नहीं करता है और उचित औचित्य के बिना अध्ययन को बीच में छोड़ देता है, तो उसकी छात्रवृत्ति को तुरंत रद्द कर दिया जाएगा और वह उसे प्रदान की गई पूरी छात्रवृत्ति राशि को, उपर्युक्त पैरा (i) में वर्णित प्रावधानों के अनुरूप वापस करने के लिए उत्तरदायी होगा।
- (iii) यदि छात्रवृत्ति प्राप्तकर्ता किसी आपात स्थिति जैसे मेडिकल इमरजेंसी आदि के कारण पाठ्यक्रम को सफलतापूर्वक पूरा करने में असमर्थ है और यदि उम्मीदवार का गाइड/विभागाध्यक्ष विश्वविद्यालय प्रमाणित करता है कि उम्मीदवार की अपनी प्रतिबद्धता /समर्पण/पढाई के प्रति ध्यान में कमी नहीं पाई गई है तो राजस्थान सरकार को योजना के तहत चूक कर्ता के दंड से उसे छूट देने का अधिकार होगा।
- (iv) आवेदक के किसी भी अवैध गतिविधि में शामिल होने या मेजबान देश के कानून के उल्लंघन में या उसके खिलाफ किसी भी पुलिस मामले की स्थिति में, उसकी छात्रवृत्ति को तुरंत रद्द कर दिया जाएगा और वह उसे प्रदान की गई संपूर्ण छात्रवृत्ति राशि को वापस करने के लिए उत्तरदायी होगी, जैसा कि ऊपर पैरा (i) में उल्लिखित है।

17. छात्रवृत्ति हेतु जागरूकता एवं लाभार्थियों को संबल

- (i) योजना के प्रचार—प्रसार हेतु योजना के विज्ञापन राज्य के प्रचलित अखबारों में प्रकाशित करवाये जायेंगे।
- (ii) इस योजना का प्रचार—प्रसार इलेक्ट्रोनिक मीडिया (रेडियो एवं टेलिविजन) के माध्यम से किया जायेगा।
- (iii) योजना की जानकारी ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाने हेतु सोशल मीडिया (ट्रिवटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम आदि) पर भी योजना का प्रचार किया जायेगा साथ ही योजना की पीपीटी विभाग की आधिकारिक वेबसाइट एवं वाट्सएप के जरिये अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाई जाएगी। राज्य सरकार के एसएसओ पोर्टल एवं ऑनलाइन स्कॉलरशिप पोर्टल पर योजना का विज्ञापन दिया जायेगा।

विभाग प्रदेश के विद्यालयों / महाविद्यालयों / विश्वविद्यालयों आदि को स्वामी विवेकानन्द स्कॉलरशिप फॉर एकेडमिक एक्सीलेंस योजना की मुख्य विशेषताओं की जानकारी देगा एवं उनके नोटिस बोर्ड पर भी योजना का पोस्टर / पेम्प्लेट लगवाया जाएगा।

- (iv) योजना की जानकारी छात्र-छात्राओं को विभिन्न वर्कशॉप्स के माध्यम से दी जाएगी। साथ ही IELTS, TOEFL, GRE, GMAT जैसे विभिन्न प्रवेश परीक्षा केन्द्रों पर योजना के पोस्टर ब्रोशर लगवाये जायेंगे।
- (v) योजना के लाभार्थियों की Human interest stories एवं Feedback Videos को भी विभिन्न अखबारों एवं विभाग के Social Media Handle और Website के माध्यम से अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाया जायेगा।
- (vi) राज्य के IELTS, TOEFL, GRE, GMAT आदि के परीक्षा केन्द्रों से छात्र-छात्राओं की ई-मेल आईडी लेकर उन्हें योजना की जानकारी दी जायेगी।
- (vii) डीआईपीआर में इस योजना से संबंधित क्रिएटिव तैयार करवाकर उनका उपयोग योजना के प्रचार प्रसार के लिए किया जा सकेगा।
- (viii) लाभार्थियों को राजस्थान फाउन्डेशन एवं प्रवासी राजस्थानियों के माध्यम से सहयोग प्राप्त कर विदेश में सामाजिक एवं भावनात्मक संबल प्रदान करने हेतु प्रयास किये जायेंगे।

18. योजना में संशोधन

राज्य सरकार के निम्नांकित निर्णय छात्रवृत्ति प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों पर अंतिम व बाध्यकारी होंगे।

- (i) राज्य सरकार द्वारा आवश्यक समझे जाने पर किसी भी समय योजना में संशोधन (वित्तीय प्रावधानों सहित)
- (ii) छात्रवृत्ति प्राप्त अभ्यर्थियों से संबंधित ऐसे मुद्दे जो अप्रत्याशित परिस्थितियों से उत्पन्न हो सकते हैं और जो इस लिखित योजना में शामिल नहीं है।

19. योजनान्तर्गत प्राप्त शिकायतों का निराकरण

- (i) योजनान्तर्गत प्राप्त शिकायतों के निराकरण हेतु 03 स्तरों पर निम्नानुसार प्राधिकारी मनोनीत होंगे:—

1. प्रथम स्तर— संयुक्त निदेशक, कॉलेज शिक्षा
2. द्वितीय स्तर— आयुक्त, कॉलेज शिक्षा
3. तृतीय स्तर— प्रमुख शासन सचिव, उच्च शिक्षा विभाग

इस सम्बन्ध में अतिरिक्त मुख्य सचिव / प्रमुख शासन सचिव / शासन सचिव—उच्च शिक्षा को अपीलीय अधिकारी नियुक्त किया जावेगा। अपीलीय अधिकारी का निर्णय अन्तिम होगा।

20. आवेदन में पाई गई आपत्तियों के निराकरण हेतु समयावधि

अभ्यर्थी के आवेदन में आपत्तियों के निराकरण हेतु अभ्यर्थी को 90 दिवस का समय दिया जावेगा।

RajKaj Ref
6113719

21. वाद का क्षेत्र (विधिक प्रकरण)

इस योजना से उत्पन्न होने वाले मामलों पर कोई भी वाद/मुकदमा जयपुर में स्थित न्यायालयों के अधिकार क्षेत्र के अधीन होगा।

22. दिशा निर्देशों का विनिर्णय

इन दिशा निर्देशों की व्याख्या अतिरिक्त मुख्य सचिव/ प्रमुख शासन सचिव /सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, राजस्थान सरकार द्वारा की जाएगी, जिनका निर्णय अन्तिम होगा।

.....End-.....

अनुलग्नक—1 Top 150 QS World Ranked Universities and applicable universities for Engineering, Medical, Dentistry and Architecture at UG level.

अनुलग्नक—2 Format of gross family Income Certificate under SVS Scheme

अनुलग्नक—3 Format of Indemnity Bond

अनुलग्नक—4 List of Documents required

अनुलग्नक—5 Top 50 NIRF Institutes as on 13-03-2024

F7(4)/SVS/ACAD/CCE/2024

March 2024

Copy forwarded for information and necessary action:

1. Secretary to Hon'ble Governor, Rajasthan, Jaipur
2. Principal Secretary to Hon'ble Chief Minister, Government of Rajasthan, Jaipur
3. Special Assistant to Hon'ble Minister, Higher Education, Government of Rajasthan, Jaipur
4. P.S. to ACS, Finance, Government of Rajasthan, Jaipur
5. P.S. to Principal Secretary Higher Education, Government of Rajasthan, Jaipur
6. P.S to Commissioner, College Education, Jaipur.
7. Financial Advisor, College Education, Jaipur.
8. Joint Director, SVSS, CCE, Jaipur
9. Website in-charge, CCE, Jaipur

RajKaj Ref
6113719

Signature Not Verified

Digitally Signed by Harsh Sawan
Sukha 19
Designation : Joint Secretary To
Government
Date :15-03-2024 02:58:44

**Top 150 QS World Ranking University list
(For financial year 2023-24)**

SNO	General Rank	Name of University	Place	Country
1	1	Massachusetts Institute of Technology (MIT)	Cambridge, United States	United States
2	2	University of Cambridge	Cambridge, United Kingdom	United Kingdom
3	3	Stanford University	Stanford, United States	United States
4	4	University of Oxford	Oxford, United Kingdom	United Kingdom
5	5	Harvard University	Cambridge, United States	United States
6	6	California Institute of Technology (Caltech)	Pasadena, United States	United States
7	6	Imperial College London	London, United Kingdom	United Kingdom
8	8	UCL	London, United Kingdom	United Kingdom
9	9	ETH Zurich	Zürich, Switzerland	Switzerland
10	10	University of Chicago	Chicago, United States	United States
11	11	National University of Singapore (NUS)	Singapore, Singapore	Singapore
12	12	Peking University	Beijing, China (Mainland)	China
13	13	University of Pennsylvania	Philadelphia, United States	United States
14	14	Tsinghua University	Beijing, China (Mainland)	China
15	15	The University of Edinburgh	Edinburgh, United Kingdom	United Kingdom
16	16	EPFL	Lausanne, Switzerland	Switzerland
17	16	Princeton University	Princeton, United States	United States
18	18	Yale University	New Haven, United States	United States
19	19	Nanyang Technological University, Singapore (NTU)	Singapore, Singapore	Singapore
20	20	Cornell University	Ithaca, United States	United States
21	21	The University of Hong Kong	Hong Kong SAR	Hong Kong
22	22	Columbia University	New York City, United States	United States
23	23	The University of Tokyo	Tokyo, Japan	Japan
24	24	Johns Hopkins University	Baltimore, United States	United States
25	25	University of Michigan Ann Arbor	Ann Arbor, United States	United States
26	26	Université PSL	Paris, France	France
27	27	University of California, Berkeley (UCB)	Berkeley, United States	United States
28	28	The University of Manchester	Manchester, United Kingdom	United Kingdom

SNO	General Rank	Name of University	Place	Country
29	29	Seoul National University	Seoul, South Korea	South Korea
30	30	The Australian National University	Canberra, Australia	Australia
31	31	McGill University	Montreal, Canada	Canada
32	32	Northwestern University	Evanston, United States	United States
33	33	The University of Melbourne	Parkville, Australia	Australia
34	34	Fudan University	Shanghai, China (Mainland)	China
35	34	University of Toronto	Toronto, Canada	Canada
36	36	Kyoto University	Kyoto, Japan	Japan
37	37	King's College London	London, United Kingdom	United Kingdom
38	38	The Chinese University of Hong Kong (CUHK)	Hong Kong SAR	Hong Kong
39	39	New York University (NYU)	New York City, United States	United States
40	40	The Hong Kong University of Science and Technology	Hong Kong SAR	Hong Kong
41	41	The University of Sydney	Sydney, Australia	Australia
42	42	KAIST - Korea Advanced Institute of Science & Technology	Daejeon, South Korea	South Korea
43	42	Zhejiang University	Hangzhou, China (Mainland)	China
44	44	University of California, Los Angeles (UCLA)	Los Angeles, United States	United States
45	45	The University of New South Wales (UNSW Sydney)	Sydney, Australia	Australia
46	46	Shanghai Jiao Tong University	Shanghai, China (Mainland)	China
47	47	University of British Columbia	Vancouver, Canada	Canada
48	48	Institut Polytechnique de Paris	Palaiseau Cedex, France	France
49	49	Technical University of Munich	Munich, Germany	Germany
50	50	Duke University	Durham, United States	United States
51	50	The University of Queensland	Brisbane City, Australia	Australia
52	52	Carnegie Mellon University	Pittsburgh, United States	United States
53	53	University of California, San Diego (UCSD)	San Diego, United States	United States
54	54	City University of Hong Kong	Hong Kong SAR	Hong Kong
55	55	Tokyo Institute of Technology (Tokyo Tech)	Tokyo, Japan	Japan
56	56	The London School of Economics and Political Science (LSE)	London, United Kingdom	United Kingdom
57	57	Monash University	Melbourne, Australia	Australia

SNO	General Rank	Name of University	Place	Country
58	58	University of Amsterdam	Amsterdam, Netherlands	Netherlands
59	59	Ludwig-Maximilians Universität München	Munich, Germany	Germany
60	60	Sorbonne University	Paris, France	France
61	61	Delft University of Technology	Delft, Netherlands	Netherlands
62	61	University of Bristol	Bristol, United Kingdom	United Kingdom
63	63	Brown University	Providence, United States	United States
64	64	The University of Warwick	Coventry, United Kingdom	United Kingdom
65	65	Ruprecht-Karls Universität Heidelberg	Heidelberg, Germany	Germany
66	65	The Hong Kong Polytechnic University	Hong Kong SAR	Hong Kong
67	67	Universidad de Buenos Aires (UBA)	Buenos Aires, Argentina	Argentina
68	68	Osaka University	Osaka City, Japan	Japan
69	69	Universit Paris-Saclay	Gif-sur-Yvette, France	France
70	70	Universiti Malaya (UM)	Kuala Lumpur, Malaysia	Malaysia
71	71	Pohang University of Science And Technology (POSTECH)	Pohang , South Korea	South Korea
72	72	University of Texas at Austin	Austin, United States	United States
73	73	Yonsei University	Seoul, South Korea	South Korea
74	74	Korea University	Seoul, South Korea	South Korea
75	75	Lomonosov Moscow State University	Moscow, Russia	Russia
76	76	KU Leuven	Leuven, Belgium	Belgium
77	77	National Taiwan University (NTU)	Taipei City, Taiwan	Taiwan
78	78	University of Southampton	Southampton, United Kingdom	United Kingdom
79	79	Tohoku University	Sendai City, Japan	Japan
80	80	University of Washington	Seattle, United States	United States
81	81	University of Glasgow	Glasgow, United Kingdom	United Kingdom
82	82	University of Copenhagen	Copenhagen, Denmark	Denmark
83	83	University of Wisconsin Madison	Madison, United States	United States
84	83	University of Zurich	Zürich, Switzerland	Switzerland
85	85	University of Illinois at Urbana-Champaign	Champaign, United States	United States
86	86	University of Leeds	Leeds, United Kingdom	United Kingdom
87	87	The University of Auckland	Auckland, New Zealand	New Zealand

SNO	General Rank	Name of University	Place	Country
88	88	Georgia Institute of Technology	Atlanta, United States	United States
89	89	KTH Royal Institute of Technology	Stockholm, Sweden	Sweden
90	90	The University of Western Australia	Perth, Australia	Australia
91	91	University of Birmingham	Birmingham, United Kingdom	United Kingdom
92	92	Durham University	Durham, United Kingdom	United Kingdom
93	93	Pennsylvania State University	University Park, United States	United States
94	94	University of Science and Technology of China	Hefei, China (Mainland)	China
95	95	Lund University	Lund, Sweden	Sweden
96	96	The University of Sheffield	Sheffield, United Kingdom	United Kingdom
97	96	University of St Andrews	St. Andrews, United Kingdom	United Kingdom
98	98	Trinity College Dublin, The University of Dublin	Dublin, Ireland	Ireland
99	99	Sungkyunkwan University (SKKU)	Suwon, South Korea	South Korea
100	100	Rice University	Houston, United States	United States
101	101	University of Oslo	Oslo, Norway	Norway
102	102	University of California, Davis	Davis, United States	United States
103	102	University of North Carolina at Chapel Hill	Chapel Hill, United States	United States
104	104	Technical University of Denmark	Kongens Lyngby, Denmark	Denmark
105	104	Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM)	Mexico City, Mexico	Mexico
106	106	King Abdulaziz University (KAU)	Jeddah, Saudi Arabia	Saudi Arabia
107	106	University of Helsinki	Helsinki, Finland	Finland
108	108	Boston University	Boston, United States	United States
109	109	The University of Adelaide	Adelaide, Australia	Australia
110	110	University of Alberta	Edmonton, Canada	Canada
111	111	École Normale Supérieure de Lyon	Lyon, France	France
112	112	Nagoya University	Nagoya, Japan	Japan
113	112	Utrecht University	Utrecht, Netherlands	Netherlands
114	114	University of Nottingham	Nottingham, United Kingdom	United Kingdom
115	115	Universidade de São Paulo	São Paulo, Brazil	Brazil

SNO	General Rank	Name of University	Place	Country
116	116	Aalto University	Espoo, Finland	Finland
117	116	Université de Montréal	Montreal, Canada	Canada
118	118	Freie Universitaet Berlin	Berlin, Germany	Germany
119	118	Washington University in St. Louis	St. Louis, United States	United States
120	120	University of Bern	Bern, Switzerland	Switzerland
121	121	Pontificia Universidad Católica de Chile (UC)	Santiago, Chile	Chile
122	122	Newcastle University	Newcastle upon Tyne, United Kingdom	United Kingdom
123	123	Universiti Putra Malaysia (UPM)	Seri Kembangan, Malaysia	Malaysia
124	124	Wageningen University & Research	Wageningen, Netherlands	Netherlands
125	125	Chalmers University of Technology	Gothenburg, Sweden	Sweden
126	125	Queen Mary University of London	London, United Kingdom	United Kingdom
127	125	University of Geneva	Geneva, Switzerland	Switzerland
128	128	Uppsala University	Uppsala, Sweden	Sweden
129	129	Purdue University	West Lafayette, United States	United States
130	129	Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM)	Bangi, Malaysia	Malaysia
131	131	Humboldt-Universität zu Berlin	Berlin, Germany	Germany
132	131	Leiden University	Leiden, Netherlands	Netherlands
133	133	Nanjing University	Nanjing, China (Mainland)	China
134	134	University of Southern California	Los Angeles, United States	United States
135	135	Kyushu University	Fukuoka City, Japan	Japan
136	136	University of Basel	Basel, Switzerland	Switzerland
137	137	University of Technology Sydney	Haymarket, Australia	Australia
138	138	Eindhoven University of Technology	Eindhoven, Netherlands	Netherlands
139	139	Politecnico di Milano	Milan, Italy	Italy
140	140	The Ohio State University	Columbus, United States	United States
141	141	Hokkaido University	Sapporo, Japan	Japan
142	141	KIT, Karlsruhe Institute of Technology	Karlsruhe, Germany	Germany
143	143	Ghent University	Ghent, Belgium	Belgium
144	143	Universiti Sains Malaysia (USM)	Gelugor, Malaysia	Malaysia
145	145	University of Groningen	Groningen, Netherlands	Netherlands
146	146	Lancaster University	Lancaster, United Kingdom	United Kingdom
147	147	RWTH Aachen University	Aachen, Germany	Germany
148	147	University of Rochester	Rochester, United States	United States

SNO	General Rank	Name of University	Place	Country
149	149	University of California, Santa Barbara (UCSB)	Santa Barbara, United States	United States
150	150	Al-Farabi Kazakh National University	Almaty, Kazakhstan	Kazakhstan

**Applicable QS World ranking Universities for Engineering
For financial year 2023-24**

SNO	General Rank	Name of University	Place	Country
1	1	Massachusetts Institute of Technology (MIT)	Cambridge, United States	United States
2	2	University of Cambridge	Cambridge, United Kingdom	United Kingdom
3	3	Stanford University	Stanford, United States	United States
4	4	University of Oxford	Oxford, United Kingdom	United Kingdom
5	5	Harvard University	Cambridge, United States	United States
6	6	Imperial College London	London, United Kingdom	United Kingdom
7	6	California Institute of Technology (Caltech)	Pasadena, United States	United States
8	9	ETH Zurich	Zürich, Switzerland	Switzerland
9	11	National University of Singapore (NUS)	Singapore, Singapore	Singapore
10	14	Tsinghua University	Beijing, China (Mainland)	China
11	16	EPFL	Lausanne, Switzerland	Switzerland
12	19	Nanyang Technological University, Singapore (NTU)	Singapore, Singapore	Singapore
13	23	The University of Tokyo	Tokyo, Japan	Japan
14	27	University of California, Berkeley (UCB)	Berkeley, United States	United States
15	42	KAIST - Korea Advanced Institute of Science & Technology	Daejeon, South Korea	South Korea
16	44	University of California, Los Angeles (UCLA)	Los Angeles, United States	United States
17	48	Institut Polytechnique de Paris	Palaiseau Cedex, France	France
18	52	Carnegie Mellon University	Pittsburgh, United States	United States
19	61	Delft University of Technology	Delft, Netherlands	Netherlands
20	69	Universit Paris-Saclay	Gif-sur-Yvette, France	France
21	72	University of Texas at Austin	Austin, United States	United States
22	85	University of Illinois at Urbana-Champaign	Champaign, United States	United States
23	88	Georgia Institute of Technology	Atlanta, United States	United States
24	129	Purdue University	West Lafayette, United States	United States
25	139	Politecnico di Milano	Milan, Italy	Italy

**Applicable QS World ranking Universities for Architecture
For financial year 2023-24**

SNo	General Rank	Name of University	Place	Country
1	1	Massachusetts Institute of Technology (MIT)	Cambridge, United States	United States
2	2	University of Cambridge	Cambridge, United Kingdom	United Kingdom
3	5	Harvard University	Cambridge, United States	United States
4	8	UCL	London, United Kingdom	United Kingdom
5	9	ETH Zurich	Zürich, Switzerland	Switzerland
6	11	National University of Singapore (NUS)	Singapore, Singapore	Singapore
7	14	Tsinghua University	Beijing, China (Mainland)	China
8	16	EPFL	Lausanne, Switzerland	Switzerland
9	20	Cornell University	Ithaca, United States	United States
10	21	The University of Hong Kong	Hong Kong SAR	Hong Kong
11	22	Columbia University	New York City, United States	United States
12	23	The University of Tokyo	Tokyo, Japan	Japan
13	27	University of California, Berkeley (UCB)	Berkeley, United States	United States
14	33	The University of Melbourne	Parkville, Australia	Australia
15	44	University of California, Los Angeles (UCLA)	Los Angeles, United States	United States
16	49	Technical University of Munich	Munich, Germany	Germany
17	61	Delft University of Technology	Delft, Netherlands	Netherlands
18	65	The Hong Kong Polytechnic University	Hong Kong SAR	Hong Kong
19	88	Georgia Institute of Technology	Atlanta, United States	United States
20	139	Politecnico di Milano	Milan, Italy	Italy

**Applicable QS World Ranking Universities for Medicine
For financial year 2023-24**

SNo	General Rank	Name of University	Place	Country
1	1	Massachusetts Institute of Technology (MIT)	Cambridge, United States	United States
2	2	University of Cambridge	Cambridge, United Kingdom	United Kingdom
3	3	Stanford University	Stanford, United States	United States
4	4	University of Oxford	Oxford, United Kingdom	United Kingdom
5	5	Harvard University	Cambridge, United States	United States
6	6	Imperial College London	London, United Kingdom	United Kingdom
7	8	UCL	London, United Kingdom	United Kingdom
8	11	National University of Singapore (NUS)	Singapore, Singapore	Singapore
9	13	University of Pennsylvania	Philadelphia, United States	United States
10	15	The University of Edinburgh	Edinburgh, United Kingdom	United Kingdom
11	18	Yale University	New Haven, United States	United States
12	22	Columbia University	New York City, United States	United States
13	24	Johns Hopkins University	Baltimore, United States	United States
14	31	McGill University	Montreal, Canada	Canada
15	33	The University of Melbourne	Parkville, Australia	Australia
16	34	University of Toronto	Toronto, Canada	Canada
17	37	King's College London	London, United Kingdom	United Kingdom
18	41	The University of Sydney	Sydney, Australia	Australia
19	44	University of California, Los Angeles (UCLA)	Los Angeles, United States	United States
20	50	Duke University	Durham, United States	United States
21	53	University of California, San Diego (UCSD)	San Diego, United States	United States
22	80	University of Washington	Seattle, United States	United States

**Applicable QS World ranking universities for Dentistry
(For financial year 2023-24)**

SNo	General Rank	Name of University	Place	Country
1	5	Harvard University	Cambridge, United States	United States
2	8	UCL	London, United Kingdom	United Kingdom
3	13	University of Pennsylvania	Philadelphia, United States	United States
4	21	The University of Hong Kong	Hong Kong SAR	Hong Kong
5	25	University of Michigan Ann Arbor	Ann Arbor, United States	United States
6	37	King's College London	London, United Kingdom	United Kingdom
7	39	New York University (NYU)	New York City, United States	United States
8	44	University of California, Los Angeles (UCLA)	Los Angeles, United States	United States
9	76	KU Leuven	Leuven, Belgium	Belgium
10	80	University of Washington	Seattle, United States	United States
11	83	University of Zurich	Zürich, Switzerland	Switzerland
12	91	University of Birmingham	Birmingham, United Kingdom	United Kingdom
13	102	University of North Carolina at Chapel Hill	Chapel Hill, United States	United States
14	115	Universidade de São Paulo	São Paulo, Brazil	Brazil
15	120	University of Bern	Bern, Switzerland	Switzerland
16	125	Queen Mary University of London	London, United Kingdom	United Kingdom
17	125	University of Geneva	Geneva, Switzerland	Switzerland

आय का घोषणा – पत्र

आवेदन सम्बन्धी आवश्यक सूचना (वैकल्पिक बिन्दुप्र को से चयन करें)

01. प्रार्थी का नाम : नवीनतम फोटो
चिपकायें02. पिता का नाम :

03. निवास स्थान का पूर्ण पता :—

(क) वर्तमान पता : (ख) स्थान पता : 04. गांव / शहर तहसील जिला
05. जन्म दिनांक जन्म स्थान उम्र 06. लिंग पुरुष महिला वैवाहिक स्थिति विवाहित अविवाहित 07. धर्म (आवेदक) जाति उपजाति 08. क्या आप/आपका परिवार राजस्थान के मूल निवासी है ? हाँ नहीं 09. क्या आप आयकर दाता हैं ? हाँ नहीं

10. मोबाइल नम्बर

11. पेन कार्ड होने की दशा में पेन कार्ड नम्बरएवं आयकर विभाग की रिटर्न की अद्यतन प्रति संलग्न करें।

12. टिन नम्बर होने की दशा में टिन नम्बरएवं वाणिज्य कर विभाग की रिटर्न की अद्यतन प्रति संलग्न करें।

13. परिवार के सदस्य व उनकी वार्षिक आय का विवरण:—

क्र.सं.	सदस्य का नाम	उम्र	मुखिया से सम्बन्ध	आय/व्यवसाय व उसकी प्रकृति	वार्षिक आय (रुपये)

अन्य स्रोत से आय (यथा मकान किराया, ब्याज, पेंशन, शेयर, म्यूचुअल फण्ड, विदेश में/से प्राप्त आय).....

14. उक्त तथ्यों के सत्यापन स्वरूप दो उत्तदायी व्यक्तियों की साक्ष्य प्रमाण पत्र एवं स्वयं का शपथ पत्र संलग्न करें।

मैं तस्दीक करता/करती हूँ कि उपरोक्त विवरण मेरी जानकारी एवं विश्वास के अनुसार सही हैं।

दिनांक :

स्थान :

प्रार्थी के हस्ताक्षर

शपथ पत्र

नवीनतम फोटो
चिपकायें

मैं पुत्र/पुत्री /पत्नी श्री उम्र.....
वर्ष, निवासी तहसील जिला..... राज्य

..... शपथ पूर्वक निम्न बयान करता/करती हूँ कि –

01. यह है कि मुझे व मेरे परिवार की वार्षिक आय (वर्ष) के प्रमाण स्वरूप में उदघोषणा करती है।
02. यह है कि मुझे व मेरे परिवार की वार्षिक आय (वर्ष) के तथ्यात्मक जानकारी निम्नानेसार है–

क्र. स.	परिवार के सदस्य का नाम	व्यवसाय	प्रार्थी से सम्बन्ध	वार्षिक आय रूपये में
1	2	3	4	5
	योग			

03. यह है कि मेरे परिवार के सदस्यों द्वारा धारित भूमि/व नोशनल शेयर के धारित कुल भूमि का विवरण इस प्रकार है–

गांव का नाम	तहसील	खसरा नम्बर	रकबा	सिंचित / असिंचित	वार्षिक आय
1	2	3	4	5	6

04. यह है कि मेरे परिवार मे अन्य स्त्रोत से आय निम्न प्रकार है –

क्र. स.	आय के अन्य स्त्रोत (यथा भवन सम्पति किराया, ब्याज, पेंशन, म्यूच्यूलफण्ड, विदेश में/से प्राप्त आय आदि से आय)	वार्षिक आय
1	2	3
	कुल समस्त वार्षिक आय	चरण (पैरा) 2,3,4 का योग

05. यह है कि मैं शपथ पूर्वक घोषित करता/करती हूँ कि उपरोक्तानुसार मेरे परिवार की कुल/ समस्त वार्षिक आय रूपये अक्षरे रूपये हैं।

06. यह है कि मैं शपथ पूर्वक घोषित करत/करती हूँ कि मेरे परिवार के किसी सदस्य ने विगत में उक्त अंकित वार्षिक आय से भिन्न आय किसी प्रयोजनार्थ नहीं दर्शायी है तथा नहीं इस बाबत् कोई आय प्रमाण पत्र प्राप्त किया है।

07. यह है कि मैं शपथ पूर्वक घोषित करत/करती हूँ कि यह तथ्य मेरी जानकारी में है कि इस होना भारती दण्ड संहिता के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध है।

हस्ताक्षर शपथग्रहिता

सत्यापन

मैं शपथ पूर्वक घोषणा करता/करती हूँ कि शपथ पत्र की चरण संख्या 1 से 7 मेरी निजी जानकारी से लिखाया गया है जो सही है ! इसमें कोई तथ्य नहीं छुपाया गया है और न ही असत्य लिखा है। ईश्वर साक्षी है।

हस्ताक्षर शपथग्रहिता

हस्ताक्षर पहचानकर्ता

1.
2.

(नाम, पता, स्थान व दिनांक)

प्रमाणीकरण

उपरोक्त शपथकर्ता नाम पिता का नाम ने मेरे समक्ष
जाति उम्र वर्ष, निवासी उपस्थित होकर शपथपूर्वक उक्तानुसार अभिकथन किया है जिसे प्रमाणीकृत किया जाता है। प्रार्थी की पहचान
..... के द्वारा की गई है।

स्थान :

दिनांक :

हस्ताक्षर
प्रमाणीकरण अधिकारी (कार्यपालक मजिस्ट्रेट)
का नाम व पद मय सील

उत्तरदायी व्यक्तियों (राजपत्रित अधिकारियों) के साक्ष्य प्रमाण पत्र

(i) गवाह

मैं पुत्र/पुत्री श्री
निवासी
विभाग का नाम पद
पर कार्यरत हूँ एवं शपथ पूर्वक बयान करता हूँ कि
प्रार्थी/प्रार्थीया पुत्र/पुत्री श्री
निवासी
को भली प्रकार जानता हूँ इनकी वार्षिक आया रुपये है, इसके अलावा प्रार्थी के पास आय का कोई
अन्य स्त्रोत नहीं है ।

हस्ताक्षर/उत्तरदायी गवाह
नाम दिनांक

(ii) गवाह

मैं पुत्र/पुत्री श्री
निवासी
विभाग का नाम पद
पर कार्यरत हूँ एवं शपथ पूर्वक बयान करता हूँ कि
प्रार्थी/प्रार्थीया पुत्र/पुत्री श्री
निवासी
को भली प्रकार जानता हूँ इनकी वार्षिक आया रुपये है, इसके अलावा प्रार्थी के पास आय का कोई
अन्य स्त्रोत नहीं है ।

हस्ताक्षर/उत्तरदायी गवाह
नाम दिनांक

INDEMNITY BOND

THIS DEED OF INDEMNITY executed on this the-----day of ----- (year) by Shri/Smt -
-----Son/Daughter of-----
-----and permanently residing at-----
----- (hereinafter referred to as "Indemnifier") in
favor of Government of Rajasthan (hereinafter referred to as the 'Indemnified'). WHEREAS, vide
G.O....., Government have accorded administrative sanction to
Swami Vivekanand Scholarship for Academic Excellence Scheme, (hereinafter referred to as
the "SVS Scheme") for assisting academically well-performed students seeking admission in
QS ranked foreign Universities and top 50 NIRF ranked National Institute at a maximum
cost as payable in the prevalent and as amended time to time SVS guidelines.

AND WHEREAS, the Indemnifier herein has been selected for SVS Scheme (as amended time to
time) awarded by the Indemnified. AND WHEREAS, the Indemnifier has been required to execute a
bond in favor of the Indemnified, Indemnifying the Government of Rajasthan from any loss
caused to the Government due to violation of any of the terms of assistance or any term of the
SVS Scheme (as amended time to time) by the Indemnifier or due to his/her failure to complete
the course.

NOW, THIS DEED WITNESSES AS FOLLOWS:-
1. I, hereby, declare that I am not permanently employed (In government) anywhere at present and
not taking any financial benefits from any source. I also declare that no other member
of my family has availed this scholarship.

2. The Indemnifier agrees to abide by all terms and conditions of the SVS Scheme (as amended
time to time).
3. The Indemnifier agrees and undertakes to pay to the Indemnified the scholarship amount
received by him/her or the University/ Institute concerned with interest at the 12% (or as
decided by the Government of Rajasthan from time to time) from the date of
disbursement of Scholarship amount in case he/she violates any of the terms of assistance
or any term of the SVS Scheme (as amended time to time) or fails to complete the course
successfully to which the Scholarship is sanctioned without any proper justification.
4. The department of Higher education will give financial assistance to a maximum of the
course duration as stipulated in the SVS Scheme (as amended time to time).

5. The Indemnifier and Sureties further agree that in case they violate any of the terms of SVS Scheme (as amended time to time), the entire amount of Scholarship received shall forthwith be paid by the Indemnifier within 180 days from the receipt of demand notice issued by the Indemnified. Such costs, including the interest rate (as decided by the Government of Rajasthan from time to time) and all costs including legal cost and all other incidental charges and expenses that shall occur in the said process, shall have to be borne by the Indemnifier.
 6. The Indemnifier and Sureties further agree that in case they fail to remit the entire scholarship amount within 180 days of receipt of demand notice, the said amount shall be recovered with interest at the rate of 12 % (or as decided by the Government of Rajasthan from time to time) per annum by the Government from the parental property
-

----- (khasra/Patta Number situated village/town/tehsil) ----- (District), the value of the said property shall not be less than one and a half time of the total scholarship amount or from the two Sureties to this Deed as per discretion of the Indemnified.

- In case of no property owned by the candidate or his/her parents/guardians then the recovery shall be borne by the sureties.
7. The Indemnifier and Sureties also further agree that the Government of Rajasthan shall recover all sums found due to the Indemnified under this Deed jointly and severally from them and their properties, both movable and immovable under the provisions of the Rajasthan Public Demand Recovery Act 1952, as if such sums are arrears of land revenue or in such other manner, as the Indemnified may deem fit.
 8. The liability of the Sureties under the Deed is co-extensive with that of the Indemnifier and shall not be affected by the Indemnified varying any of the terms and conditions herein contained. The stamp Duty of this Deed shall be borne and paid by the Indemnifier.

IN WITNESS of which, I have signed and executed this Bond of Indemnity on this the----- day of ----- (year) at ----- in the presence of the Witnesses and Sureties named below.

INDEMNIFIER

SURETIES

We, (1) Shri -----Son of-----
-----residing at -----
-----and employed (in case working) as-----
----- in ----- Department, Government of India/Rajasthan
and

(2)Shri -----Son of-----
-----residing at -----
-----and employed (in case working) as---
-----in-----
----- hereby stand as SURETIES to this Bond executed by Shri -----
----- Son of -----
----- residing at -----

----- in favour of Government of Rajasthan. We undertake the liability of the bond amount to the extent of the bond amount. If the Indemnifier of this Bond fails to discharge their obligations under the Bond, we will pay the bond amount with interest at the rate of 12% per annum (or as decided by the Government of Rajasthan) . We further hereby bind ourselves and each of us, and each of our heirs, executors and administrators jointly and severally to pay to the Indemnified-on demand of the Scholarship amount received by Shri -----
-----the Indemnifier under this Bond.

Name and Designation (SURETY-1)

Name and Designation (SURETY-2)

Address:

Address:

WITNESSES:

1.

Name and Address

2.

Name and Address

List of documents

- a. Jan Aadhar Number
- b. Offer letter of the applicable foreign university/ national institute
- c. Bonafide/ Domicile certificate
- d. Gross family Income certificate (authenticated by executive magistrate and witnessed by two gazetted officers)
- e. ITR as applicable
- f. Affidavit for not filing ITR (given format)
- g. 10th marksheet
- h. Qualifying Degree, Mark sheet/Certificate of last passed exam
- i. Self Declaration for Scholarships/ financial help etc.from other sources.
- j. Passport, if any
- k. Visa, if any
- l. Aadhar Number